ॐ ह्रीं नमः

Akalank's

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 और विनियम, 2011

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सख्यांक 34)
- खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011
- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011
- खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011
- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011
- खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011
- खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011
- खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011

अकलंक पब्लिकेशन्स
akalank publications

Published by :
Akalank Kumar Jain
for **AKALANK PUBLICATIONS**
3622, Mori Gate, Delhi - 110006.
email: info@akalank.com

ISBN : 81-7639-317-7 (10-Digits)
ISBN : 978-81-7639-317-1 (13-Digits)

(ENGLISH VERSION ALSO AVAILABLE)
SUBSCRIBE TODAY –MONTHLY REPOTER ON FOOD SAFETY AND DRUGS
(for details write us today email: info@akalank.com)

1st Edn.	:	1997 (As Prevetion of Food Adulteration Act)
9th Edn.	:	Jan, 2006
10th Edn.	:	**August, 2011 (As Food Safety and Standards Act)**
1st Edn.(HINDI)	:	**August, 2011 (As Food Safety and Standards Act)**

Price : ₹ 700.00

© All Rights Reserved with the Publishers

Printed at:

SHAKTI
Delhi.

Caution Note

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanically, including photocopying, recording or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publisher or in accordance with the provisions of the Copyright Act, 1956 (as amended). Any person who does any unauthorised act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is intended to be used only for general guidance and should not be quoted as an authority. In case of any doubt, relevant act, rules, regulations, orders, etc. on the subject from Government Department Concerned or Gazette notifications should be referred to. This Publication is sold with the understanding that the Publishers, Authors or Book sellers are not responsible for the result of any action taken on the basis of this book nor for any error or omission to any person whether a purchaser of this publication or not.

Every effort has been made to avoid errors or omissions in this book. Inspite of this, errors may creep in. Any mistake, error or discrepancy noted, may be brought to the publisher's which shall be taken care of in the next edition. The book is subject to replacement only if there is any binding mistake, misprint or for missing pages within 30 days from the date of purchase of the book with the same edition or the next available edition if so published. All expenses in this connection are to be born by the purchaser.

All disputes are subject to District Courts, Tis Hazari, Delhi Jurisdiction only.
*****

002011083100

खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011

[भारत का राजपत्र भाग III खण्ड 4, दिनांक 1 अगस्त, 2011 में प्रकाशित का यथा अनुरूप]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2011

फा.सं. 2.15015/30/2010 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, जहां तक वे खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 से संबंधित हैं, बनाने का प्रस्ताव करता है, और;

विनियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र, के असाधारण भाग 3, खण्ड 4 में तारीख 20 अक्तूबर, 2010 को पृष्ठ 1 से 776 में समेकित रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस तारीख, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, से 30 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले, उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां 21 अक्तूबर, 2010 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर विनिर्धारित अवधि के अंदर पणधारियों से आक्षेप और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है।

अतः, अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,–

खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमावली, 2011

अध्याय 1

साधारण

1.1 : संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.1.1 : इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 कहे जा सकेंगे।

1.1.2 : ये विनियम 5 अगस्त, 2011 को या इसके पश्चात प्रवृत्त होंगे।

1.2 : परिभाषाएं

1.2.1 : इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

1. ''से पहले उत्तम'' से वह तारीख अभिप्रेत है जो किसी ऐसी कथित भंडारण परिस्थिति के अधीन, जिसके दौरान खाद्य पूर्णतः विपण्य रहता है और वह विनिर्दिष्ट क्वालिटी बनाए रखता है जिसके लिए उपलक्षित या स्पष्ट दावा किया गया है, की अवधि की समाप्ति को संज्ञापित करती है और उस तारीख के बाद भी खाद्य उपभोग के लिए पूर्णरूप से सुरक्षित हो, भले ही इसकी क्वालिटी कम हो गई हो। खाद्य पदार्थ को इस तारीख के पश्चात् भी विक्रय किया जा सके बशर्ते यह असुरक्षित न हो।

2. ''विनिर्माण की तारीख'' से वह तारीख अभिप्रेत है जिस तारीख को खाद्य यथा वर्णित उत्पाद बनता है;

3. ''पैक करने की तारीख'' से वह तारीख अभिप्रेत है जिस तारीख को खाद्य को किसी ऐसे अव्यवहित आधान में रखा जाता है जिसमें उसका अंततः विक्रय होगा;

4. ''शिशु'' से कोई ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसकी आयु 12 मास से अधिक न हो।

5. ''लाट संख्यांक'' या ''कोड संख्यांक'' या ''बैच संख्यांक'' से लाट संख्यांक या कोड संख्यांक या बैच संख्यांक दर्शित करने वाली, संख्या में या वर्णमाला में या संख्या या वर्णमाला दोनों के संयोजन में कोई संख्यांक अभिप्रेत है जिसके पूर्व ''लाट संख्यांक'' या ''लाट'' अथवा ''कोड संख्यांक'' या ''कोड'' अथवा ''बैच संख्यांक'' या ''बैच'' शब्द या कोई सुभेदक उपसर्ग है जिसके द्वारा खाद्य के विनिर्माण का पता किया जा सकता है और वितरण में उसकी पहचान की जा सकती है।

6. ''मल्टीपीस पैकेज'' से ऐसा पैकेज अभिप्रेत है जिसमें अलग-अलग या एक संपूर्ण पैकेज के रूप में फुटकर विक्रय के लिए आशयित समान मात्रा में अलग-अलग पैक की हुई और लेबल की गई एक ही वस्तु हो।

7. ''मांसाहारी खाद्य'' से एक ऐसा खाद्य अभिप्रेत है जिसमें एक संघटक के रूप में दुग्ध या दुग्ध उत्पादों को छोड़कर पक्षियों, ताजा जल अथवा समुद्री जीव-जंतुओं अथवा अंडों अथवा किसी पशु जनित उत्पाद सहित, कोई भी समग्र जीव-जन्तु अथवा उसका भाग अंतर्विष्ट हो।

8. ''पूर्व-पैकेज में रखे गए'' या ''पूर्व-पैक किए गए खाद्य'' से ऐसा खाद्य अभिप्रेत है जो किसी प्रकार के पैकेज में ऐसी रीति में रखा जाता है कि उसकी अंतर्वस्तुओं को इसमें छेड़-छाड़ किए बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता हो और जो ग्राहक को विक्रय करने के लिए तैयार है।

टिप्पण : इन विनियमों में जहां-कहीं भी ''पैकेज'' अभिव्यक्ति आती है, उसका अर्थ ऐसे पैकेज के रूप में लगाया जाएगा जिसमें पूर्व-पैक किया गया खाद्य पदार्थ है।

9. ''प्रमुख प्रदर्शित पैनल'' से आधान पैकेज का वह भाग अभिप्रेत है जो ग्राहक द्वारा इसमें अंतर्विष्ट वस्तु का प्रदर्शन, विक्रय या क्रय की सामान्य और प्रचलित दशाओं में प्रदर्शित किया जाता या प्रस्तुत किए गए या दिखाए जाने या ग्राहक द्वारा परीक्षा किए जाने आशयित हैं या संभाव्य है।

10. ''तारीख तक - प्रयोग'' या ''अनुशंसित उपभोग की अंतिम तारीख'' या ''अवसान की तारीख'' से वह तारीख अभिप्रेत है जो किसी ऐसी उल्लिखित भंडारकरण दशा में प्राक्कलित अवधि की समाप्ति को संज्ञापित करती है जिसके पश्चात् खाद्य में अधिसंभाव्यतः ऐसे गुण-धर्म नहीं रह जाएंगे जिनकी ग्राहक द्वारा सामान्यतः प्रत्याशा की जाती है और खाद्य विक्रय योग्य नहीं रह जाएगा।

11. ''शाकाहारी खाद्य'' से विनियम 1.2.1(7) में यथा परिभाषित मांसाहारी खाद्य से भिन्न कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है।

12. "थोक पैकेज" से ऐसा पैकेज अभिप्रेत है जिसमें -

(क) अनेक खुदरा पैकेज अंतर्विष्ट है और जहां ऐसे प्रथम उल्लिखित पैकेज बिचौलिये को विक्रय करने, संवितरित करने या परिदान करने के लिए आशयित हैं और किसी एक ग्राहक को सीधे विक्रय करने के लिए आशयित नहीं है; या

(ख) किसी बिचौलिये को थोक में विक्रय करने के लिए ऐसी खाद्य-वस्तु अंतर्विष्ट है जिससे कि ऐसा बिचौलिया ऐसी खाद्य-वस्तु को लघु मात्रा में ग्राहक को विक्रय करने, संवितरण करने या परिदान करने के लिए समर्थ हो सके।

अध्याय 2

पैक करने और लेबल लगाने

2.1 पैक करना

2.1.1 साधारण अपेक्षाएं :

(1) निम्नलिखित पदार्थ या धातु के बने हुए किसी पात्र या आधान का प्रयोग जब खाद्य को तैयार करने, पैक करने और भंडारकरण करने में किया जाए तब यह समझा जाएगा कि वह उसे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त बनाता है :-

(क) आधान जिसमें जंग लगी हो;

(ख) इनेमिलित आधान जो कट गए हों और जिनमें जंग लगी हो;

(ग) तांबे या पीतल के आधार जिनमें उचित रूप से कलई नहीं की गई हो;

(घ) एल्युमिनियम से बने आंधान जो रासायनिक संयोजन में पात्रों के लिए ढलुआं एल्युमिनियम और एल्युमिनियम धातु के लिए विनिर्देश आई.एस. : 20 के या पात्रों के लिए पिटवां एल्युमिनियम और एल्युमिनियम धातु के लिए विनिर्देश आई.एस.: 21 के अनुसार नहीं है।

(2) प्लास्टिक सामग्री से बने ऐसे पात्र, जो निम्नलिखित भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, और जिनका उपयोग आंशिक या पूर्ण रूप से खाद्य सामग्रियों को पैक करने के लिए या उनके भंडारकरण के लिए साधित्र या पात्र के रूप में किया जाता है, अर्थात्-

(i) भारतीय मानक : 10146 (खाद्य पदार्थों से संस्पर्शित पोलिथेलीन के लिए विनिर्देश);

(ii) भारतीय मानक : 10142 (खाद्य पदार्थों से संस्पर्शित स्टीरिन पोलिमर के लिए विनिर्देश);

(iii) भारतीय मानक : 10151 (खाद्य पदार्थों से संस्पर्शित पालिविनिल क्लोराइड (पीवीसी) के लिए विनिर्देश);

(iv) भारतीय मानक : 10910 (खाद्य पदार्थों से संस्पर्शित पालिप्रापलिन के लिए विनिर्देश);

(v) भारतीय मानक : 11434 (खाद्य पदार्थों संस्पर्शित से आयोनोमर रेजिन के लिए विनिर्देश);

(vi) भारतीय मानक : 11704 एथिलीन ऐक्रिलिक अम्ल (ईएए) सहबहुलक के लिए विनिर्देश;

(vii) भारतीय मानक : 12252 पॉली एल्किलीन टेरेफथेलेट्स (पीईटी) के लिए विनिर्देश;

(viii) भारतीय मानक : 12247 नाइलॉन 6 बहुलक के लिए विनिर्देश;

(ix) भारतीय मानक : 13601 एथीलेन विनलेई ऐसिटेट (ईवीए);

(x) भारतीय मानक : 13576 एथीलेन मेथा एक्रिलिक एसिड (ईएमएए);

(xi) टिन और प्लास्टिक से बने आधानों का एक बार प्रयोग किए जाने के पश्चात् खाद्य तेलों और वसाओं को पैक करने के लिए पुनः प्रयोग नहीं किया जाएगा;

परंतु तांबे के बने पात्र या आधान यद्यपि उन पर उचित कलई नहीं है, चीनी कन्फैक्शनरी या वाष्पशील तेलों को तैयार करने के लिए उपयोग किए जा सकेंगे और ऐसे पात्रों या आधानों का मात्र उपयोग चीनी कन्फैक्शनरी या वाष्पशील तेल को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त बनाने वाला नहीं माना जाएगा।

(3) डिब्बाबंद उत्पादों के लिए पैक करने संबंधी साधारण अपेक्षाएं

(i) सभी आधान मजबूती से पैक और मुहरबंद किए जाएंगे;

(ii) डिब्बों का बाह्य भाग बड़ी खरांचों जंग, छिद्रण और दरार विरूपण से मुक्त होगा;

(iii) डिब्बे रिसाव रहित होंगे।

2.1.2 : उत्पाद की विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं

(1) दूध और दुग्ध उत्पादों को पैक करने संबंधी अपेक्षाएं

(क) ताप उपचारित दूध और दुग्ध उत्पाद के आधानों की बोतलबंदी भराई यांत्रिक रूप से की जाएगी और आधानों को यंत्रवत मुहरबंद किया जाएगा।

(ख) डेयरी उत्पादों के लिए लपेटन या पैकिंग का पुनः प्रयोग सिवाय वहां के नहीं किया जाएगा, जहां आधान इस प्रकार के हैं कि इन्हें भलीभांति साफ और विसक्रामित करने के पश्चात् पुनः प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) मुहरबंदी भराई के अव्यवहित पश्चात् उस स्थापन में की जाएगी जिसमें पेय दूध या द्रव दुग्ध आधारित उत्पादों का अंतिम तापीय उपचार किया गया है और ऐसे मुहरबंदी यंत्र से की जाएगी जो यह सुनिश्चित करता है कि दूध किसी बाह्य जनित प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षित है। मुहरबंदी यंत्र इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि जब एक बार आधान को खोल दिया गया है, तो खोले जाने का साक्ष्य स्पष्ट बना रहता है और जांच-पड़ताल करना आसान है।

(घ) पैक करने के अव्यवहित पश्चात् डेयरी उत्पादों को भंडारकरण के लिए बनाए गए कमरों में रखा जाएगा।

(2) खाद्य तेल/वसा के लिए पैक करने संबंधी अपेक्षाएं

खाद्य तेलों और वसाओं को पैक करने के लिए टिन के आधानों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त की गई चद्दर(प्लेट) समय-समय पर यथा संशोधित बी.आई.एस. मानक संख्यांक 1993 या 13955 या 9025 या 13954 में अंतर्विष्ट प्रथम श्रेणी गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप होगी और खाद्य तेलों और वसाओं को पैक करने के लिए टिन के आधानों की बाबत समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक सं. 10325 या 10339 के अनुरूप होगी।

(3) फलों और शाक उत्पादों के लिए पैक करने संबंधी अपेक्षाएं

(i) प्रत्येक आधान जिसमें कोई फल उत्पाद पैक किया जाता है, को इस प्रकार मुहरबंद किया जाएगा कि इसे अनुज्ञप्ति संख्यांक को नष्ट किए बिना न खोला जा सकता हो तथा बोतल के ऊपरी सिरे या गरदनी पर विनिर्माता का विशेष पहचान चिह्न प्रदर्शित किया जाए।

(ii) डिब्बाबंद फलों, रसों और शाकों के लिए उपयुक्त प्रकार की टिन की चद्दर से बने हुए सेनीटरी टाप डिब्बे प्रयोग किए जाएंगे।

(iii) बोतलबंद फलों, रसों और शाकों के लिए केवल ऐसे बोतल/मर्तबान प्रयोग किए जाएंगे जिन्हें वायुरुद्ध मुहरबंद किया जा सकता हो।

(iv) रसों, स्कवैशों, क्रश, शक्तिवर्धकों, शर्बतों, जौ के पानी और अन्य पेय मजबूती से मुहरबंद साफ बोतलों में पैक किए जाएंगे। जब इन उत्पादों को जमाकर और प्रशीतित रूप में विक्रय किया जाए तो इन्हें उपयुक्त कार्टूनों में पैक किया जाएगा। रसों और गूदों को जब सल्फाइट किया जाए तो इन्हें लकड़ी के पीपा में पैक किया जा सकेगा।

(v) परिरक्षी, जैम, जैली और मर्मलेड को पैक करने के लिए नए डिब्बे, साफ मर्तबान, नए कास्तर, बोतल, चीनी मिट्टी के मर्तबान, एल्युमिनियम के आधानों का प्रयोग किया जा सकेगा और इन्हें मजबूती से मुहरबंद किया जाएगा।

(vi) अचार के लिए साफ बोतलें, मर्तबान, लकड़ी से बने पीपे, टिन के आधान जिसके अंदर 250 गेज का पालिथीन अस्तर लगा हो या रोगनयुक्त डिब्बे प्रयोग किए जाएंगे।

(vii) टमाटर की चटनी और सॉस के लिए साफ बोतलें प्रयोग की जाएंगी। यदि एसेटिक अम्ल के रूप में अम्लता 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है, तो ऊपर से खुलने वाले सेनीटरी डिब्बे प्रयोग किए जा सकेंगे।

(viii) डिब्बाबंद फल और छिलके तथा सूखे फल और सब्जियां कागज के थैलों, गत्ते या लकड़ी के डिब्बों, नये टिनों, बोतलों, मर्तबानों, एल्युमिनियम और अन्य उपयुक्त अनुमोदित आधानों में पैक किए जा सकते हैं।

(ix) फल और शाक उत्पाद अपूतिक और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित किए गए मानकों के समरूप अच्छी श्रेणी की गुणवत्ता की नम्य पैकिंग सामग्री में भी पैक किए जा सकते हैं।

(4) डिब्बाबंद मांस उत्पादों को पैक करने संबंधी अपेक्षाएं

(i) उपयुक्त प्रकार की टिन की चद्दर से बने नए सेनीटरी टॉप डिब्बे प्रयोग किए जाएंगे। डिब्बों पर अंदर की तरफ रोगन किया जाएगा और उन्हें भरने के पश्चात् वायुरुद्धतः मुहरबंद किया जाएगा। प्रयोग किया गया रोगन सल्फर प्रतिरोधक होगा और वसा या लवण में विलेय नहीं होगा।

(ii) सुअर मध्याह्न भोजन मीट (पोर्क लंचन मीट) को भरने के लिए प्रयोग किए जाने वाले डिब्बों को भरने से पहले आंतरिक रुप से खाद्य जिलेटीन, सुअर की चर्बी से आलेपित या वनस्पति से बने पार्चमेंट से आस्तरित किए जाएंगे।

(iii) वायुरूद्धतः मुहरबंद आधानों में पैक किए गए मांस उत्पादों को भंडारकरण और परिवहन की वाणिज्यिक दशाओं के अधीन खराब होने से बचाने के लिए प्रसंस्कृत किया जाएगा।

(5) पेय जल (पैकेजबंद और खनिज जल दोनों) को पैक करने संबंधी अपेक्षाएं :

यह भा. मा. 10146 के अनुरूप पालीएथिलीन (पी.ई.) या भा. मा. 10151 के अनुरूप पालिविनायल क्लोराइड (पी.वी.सी.) या भा. मा. 12252 के अनुरूप पालीएल्काईलीक टैरोपथालेट (पीईटी और पीबीटी) या भा. मा. 10910 के अनुरूप पाली प्रोपाएलीन या खाद्य श्रेणी पाली कार्बोनेट से बनाई गई स्वच्छ, जीवाणु रहित, रंगहीन, पारदर्शी और गड़बड़ न की जा सकने वाली बोतलों/आधानों में या जीवाणुरहित कांच की ऐसी बोतलों में जो जल के संभावित अपमिश्रण या संदूषण का निवारण करने के लिए उपयुक्त हों, पैक किया जाएगा।

प्लास्टिक मूल की सभी पैकेजिंग सामग्रियां विहित संपूर्ण अभिगामी और रंजक अभिगाभी सीमाओं के अनुरूप होंगी।

2.2 : लेबल लगाना

2.2.1 : साधारण अपेक्षाएं

(1) प्रत्येक पूर्व-पैक किए गए खाद्य पर एक लेबल लगा होगा और जब तक इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित न किया जाए, इन विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित जानकारी अंतर्विष्ट होगी;

(2) ऐसी घोषणा की विशिष्टियां जिन्हें इन नियमों के अधीन लेबल पर विनिर्दिष्ट किए जाने की अपेक्षा की गई हैं, अंग्रेजी या हिंदी देवनागरी लिपि में होगी :

परंतु इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात इस विनियम के अधीन अपेक्षित भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के प्रयोग को निवारित नहीं करेगी।

(3) पूर्व-पैक किए गए खाद्य को किसी लेबल पर या ऐसी किसी अन्य रीति में वर्णित या प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जो मिथ्या, भ्रामक या कपटपूर्ण है या इससे इसकी प्रकृति के बारे में किसी प्रकार से गलत प्रभाव पैदा होने की संभावना है;

(4) पूर्व-पैक किए गए खाद्यों पर लेबल ऐसी रीति में लगाया जाएगा कि वे आधान से अलग नहीं हो सकेंगे;

(5) लेबल पर की अंतर्वस्तुएं स्पष्ट, प्रमुख रूप से प्रदर्शित, अमिट तथा खरीद और प्रयोग की सामान्य दशाओं में ग्राहक द्वारा आसानी से पठनीय होंगी।

(6) जहां आधान को आवरण से आवृत्त किया गया है तो आवरण पर आवश्यक जानकारी दी जाएगी या आधान पर लगा लेबल बाह्य आवरण में से आसानी से पठनीय होगा और यह इसके द्वारा ढ़का हुआ नहीं होगा।

2.2.2 : पूर्व-पैक किए गए खाद्यों पर लेबल लगाना

ऊपर 2.2.1 में विनिर्दिष्ट साधारण लेबलिंग अपेक्षाओं के अलावा, प्रत्येक खाद्य पैकेज पर लगे लेबल पर निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी, अर्थात्-

(1) खाद्य का नाम : खाद्य के नाम के अंतर्गत पैकेज में रखे गए खाद्य का व्यापार नाम या वर्णन भी आएगा।

(2) संघटकों की सूची : एकल संघटक खाद्य पदार्थो के सिवाय, संघटकों की सूची निम्नलिखित रीति में लेबल पर घोषित की जाएगी :

(क) संघटकों की सूची का एक उपयुक्त नाम दिया जाएगा, जैसे ''संघटक'' शब्द;

(ख) उत्पाद के विनिर्माण के समय, इसमें प्रयुक्त संघटकों के नाम, यथास्थिति, उनकी संरचना में भार या प्रबलता के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किए जाएंगे;

(ग) संघटकों की सूची में दिए गए संघटकों के लिए एक विनिर्दिष्ट नाम प्रयोग किया जाएगा;

परंतु संबंधित वर्गों के अंतर्गत आने वाले संघटकों के लिए निम्नलिखित वर्ग नामों का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात् -

वर्गों	वर्ग नाम
खाद्य वनस्पति तेल	खाद्य वनस्पति तेल/खाद्य
खाद्य वनस्पति वसा	वनस्पति वसा अथवा हाइड्रोजनीकृत या आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल, दोनों।
पशु वसा/ दुग्ध वसा से भिन्न तेल	वसा के स्रोत का नाम दें। पोर्क वसा, लार्ड और गोमांस वसा या इनके तत्व विनिर्दिष्ट नाम से घोषित किए जाएंगे।
रासायनिक रूप से रुपांतरित स्टार्चों से भिन्न स्टार्च	स्टार्च
सभी प्रकार की मछलियां, जहां अन्य खाद्य के अवयव मछली के हैं, परंतु ऐसे खाद्य के लेबल और प्रस्तुति पर मछली की किस्म का उल्लेख नहीं किया जाता है।	मछली
सभी प्रकार के कुक्कुट मांस, जहां किसी अन्य खाद्य के अवयव ऐसे मांस से बने हैं, परंतु ऐसे खाद्य के लेबल और प्रस्तुति पर कुक्कुट मांस के विनिर्दिष्ट प्रकार का उल्लेख नहीं किया जाता है।	कुक्कुट मांस
सभी प्रकार के चीज, जहां चीज या चीज के मिश्रण से अन्य खाद्य के अवयव बने हैं, परंतु लेबल और प्रस्तुति पर किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के चीज का उल्लेख नहीं किया जाता है।	चीज
सभी प्रकार के मसाले और गर्म मसाले तथा उनके तत्व	मसाले और गर्म मसाले या मिश्रित मसाले/ गर्म मसाले, जैसा समुचित हो
सभी प्रकार के गोंद या चुइंगम के लिए गोंद आधार के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली विनिर्मितियां	गोंद आधार (गम बेस)
निर्जल डेक्सट्रोस और डेक्सट्रोस मोनोहाइड्रेट	डेक्सट्रोस या ग्लूकोज
सभी प्रकार के केसिनेट	केसिनेट
सम्पीड़क, निष्कर्षित या परिष्कृत कोका बटर	कोका बटर
सभी क्रिस्टलीकृत फल	क्रिस्टलीकृत फल
एकमात्र रूप से दूध से व्युत्पन्न सभी दुग्ध और दुग्ध उत्पाद	दुग्ध ठोस
कोका बीन, कोका-निब, कोकामास, कोका प्रेस केक, कोका चूर्ण (परिष्कृत/अपरिष्कृत)	कोका ठोस

परंतु यह और कि पोर्क वसा, लार्ड और बीफ वसा या इनके तत्व इनके विनिर्दिष्ट नाम से घोषित किए जाएंगे।

(घ) जहां कोई संघटक स्वत: दो या दो से अधिक संघटकों का उत्पाद है, ऐसे संयोजित संघटकों को संघटकों की सूची में घोषित किया जाएगा, और इसके अवयवों को एक सूची, कोष्ठक में, यथास्थिति भार या प्रबलता के अवरोही क्रम में संलग्न की जाएगी;

परंतु जहां कोई संयोजित संघटक, खाद्य के पांच प्रतिशत से कम है, वहां खाद्य योज्यक के सिवाय, संयोजित अव्ययवों की अवयव सूची को घोषित करना आवश्यक नहीं है।

(ङ) मिलाया गया जल संघटकों की सूची में घोषित किया जाएगा सिवाय उन मामलों के जहां जल अवयव का ही भाग है जैसे लवण, सिरप या शोरबा, मिश्रित खाद्य में उपयोग किया गया है और अवयवों की सूची में घोषित किया गया है।

परंतु विनिर्माण के अनुक्रम में वाष्पित हो गए जल या अन्य वाष्पशील अवयवों को घोषित करने की आवश्यकता नहीं है;

परंतु यह और कि निर्जलित या संघनित खाद्य, जिन्हें जल मिलाकर पुनः निर्मित किया जाना आशयित है, के मामले में ऐसे पुनः निर्मित खाद्य के संघटकों को यथास्थिति, भार या प्रबलता के अवरोही क्रम में घोषित किया जाएगा और उत्पाद के संघटक, ''जब लेबल के निदेशों के अनुसार उत्पाद तैयार किया गया'' जैसा कोई कथन अंतर्विष्ट होगा।

(च) मिश्रण या संयोजन के रूप में बेचे गए खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर खाद्य के विनिर्माण के समय प्रयुक्त किए गए संघटक (मिश्रित संघटकों या संघटकों के प्रवर्गों सहित) की प्रतिशतता प्रकट की जाएगी, यदि ऐसा अवयव –

(i) शब्दों या चित्रों या लेखाचित्रों द्वारा लेबल पर यथा मौजूद होने पर बल देता है य या

(ii) खाद्य के नाम के अंतर्गत नहीं है किंतु खाद्य की विशेषता बताने के लिए अनिवार्य है और ग्राहकों द्वारा खाद्य में मौजूद होने की प्रत्याशा की जाती है, यदि संघटक की मात्रा संबंधी घोषणा से ग्राहक भ्रमित होता है या उसे धोखा होता है।

परंतु जहां संघटक सुवासक के रूप में उपयोग किया गया है, वहां ऐसे अवयव की घोषणा करना अपेक्षित नहीं है :

परंतु यह और कि जहां यथा अपेक्षित लेबल पर निर्गमित कुल भार को उपदर्शित किया गया है या ऐसे खाद्य उत्पादों की दशा में, जहां इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट उपबंध किए गए हैं या जहां ग्राहक की जानकारी और प्रयोग के लिए किसी परिवेषण सुझाव का चित्रात्मक निरुपण किया गया है, तो ऐसे संघटक को प्रकट किया जाना अपेक्षित है।

परंतु यह भी कि किसी ऐसी बोतल की दशा में, जिसमें तरल दूध या ऐसा तरल पेय है जिसमें एक संघटक के रूप में दूध, मृदुपेय, कार्बनिकृत जल या परोसने के लिए तैयार फल पेय अंतर्विष्ट है, तो फल लुगदी और फल रस मिलाए जाने के बारे में घोषणाएं अनिवार्यतः बोतल के ऊपर की जाएंगी।

(3) पोषणकारी जानकारी – उत्पाद की प्रति 100 ग्राम या प्रति 100 मि.लि. या प्रति सर्विंग पोषणकारी जानकारी या पोषणकारी तथ्य निम्नलिखित को अंतर्विष्ट करते हुए लेबल पर दी जाएगी :

(i) ऊर्जा मान, के कैल में;

(ii) प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट (शर्करा की मात्रा विनिर्दिष्ट की जाए) और वसा, ग्राम (ग्रा.) में या मि.लि.;

(iii) किसी ऐसे अन्य पोषक तत्व की मात्रा जिसके लिए कोई पोषण या स्वास्थ्य संबंधी दावा किया जाता है :

परंतु जहां वसायुक्त अम्लों की मात्रा या प्रकार या कोलेस्ट्राल की मात्रा से संबंधित दावा किया जाता है, वहां संतृप्त (सेच्यूरेटिड) वसायुक्त अम्लों, मोनोअनसंच्यूरेटिड वसायुक्त अम्लों की मात्रा को ग्राम (ग्रा.) में घोषित किया जाएगा और परा-वसायुक्त अम्ल की मात्रा ग्राम (ग्रा.) में ऊपर अनुबंधित अन्य अपेक्षा के अतिरिक्त घोषित की जाएगी;

(iv) जहां कहीं विटामिनों और खनिजों की संख्यात्मक जानकारी घोषित की जाती है, तो इसे मीट्रिक इकाई में अभिव्यक्त किया जाएगा;

(v) जहां पोषण संबंधी घोषणा प्रति सर्विंग की जाती है, वहां मात्रा ग्राम (ग्रा.) या मिलीलिटर (मि.लि.) में निर्देश के लिए सर्व किए जाने वाले साधन के अतिरिक्त सम्मिलित की जाएगी;

परन्तु पोषकों जैसे खनिज, प्रोटीन, विटामिन, धातु या उनके यौगिकों अमनो अम्ल या एन्जाइम से संपूरित होने का दावा करने वाला खाद्य लेबल पर ऐसे मिलाए गए पोषकों की मात्रा देगा।

परंतु –

(i) ऐसे खाद्यों की दशा में पोषणकारी जानकारी देना आवश्यक नहीं हो सकेगा : जैसे अपरिष्कृत कृषि संबंधी वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, अनाज, मसाले, मसाला मिश्रण, जड़ी-बुटियां, गर्म मसाले, टेबुल नमक, चीनी, गुड़, या अपौष्टिक उत्पादों जैसे विलेय

चाय, काफी, विलेय काफी, काफी-कासनी मिश्रण, पैकेज बंद पेय जल, पैकेजबंद खनिज जल, एल्कोहाली पेय या फल और सब्जियां, प्रसंस्कृत और पूर्व पैक की गई वर्गीकृत सब्जियां, फल, सब्जियां और ऐसे उत्पाद जिनमें एकल संघटक है, अचार, पापड़, या तुरंत उपभोग के लिए परोसे जाने वाले खाद्य जैसे अस्पतालों, होटलों में या भोजन सेवा प्रदान करने वाले विक्रेताओं या हलवाइयों द्वारा परोसे जाते हैं, या थोक में भेजे गए ऐसे खाद्य जो उसी रूप में उपभोक्ताओं को विक्रय के लिए नहीं हैं।

(ii) लेबल पर घोषित किए गए पोषक तत्वों की मात्रा का पालन स्थापित परिपाटियों के अनुसार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस उपबंध के प्रयोजन के लिए, विश्लेषण के समय, घोषित किए गए पोषक तत्वों की मात्रा की दशा में खाद्य के शेल्फ-लाइफ में रखे जाने भंडारकरण, और खाद्य की अंतर्निहित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचार किया जाएगा;

(iii) ऐसे खाद्य, जिनमें हाइड्रोजनीकृत वनस्पति वसाओं या बेकरी खस्ताहार का प्रयोग किया जाता है, के लेबल पर यह घोषणा की जाएगी कि हाइड्रोजनीकृत वनस्पति वसाओं या बेकरी खस्ताहार प्रयोग किए गए हैं - अवसायुक्त पदार्थ अंतर्विष्ट हैं;

परंतु यह और कि 'अवसामुक्त' होने संबंधी कोई स्वास्थ्य दावा ऐसी दशाओं में किया जाएगा जहां ट्रांस वसा 0.2 ग्राम प्रति परोसे गए खाद्य से कम है और 'सच्यूरेटिड वसा मुक्त' का दावा ऐसे मामलों में किया जाएगा जहां सच्यूरेटिड वसा 0.1 ग्राम प्रति 100 ग्राम या 100 मि.लि. खाद्य से अधिक नहीं है।

विनियम 2.2.2(3) के प्रयोजन के लिए -

(i) ''स्वास्थ्य दावे'' से ऐसा अभ्यावेदन अभिप्रेत है जिसमें यह कथन, सुझाव या विवक्षा है कि किसी खाद्य या उस खाद्य के किसी संघटक और स्वास्थ्य के बीच कोई संबंध विद्यमान है और इसमें ऐसे पोषण संबंधी दावे भी सम्मिलित हैं जिनमें शरीर की वृद्धि, विकास और सामान्य क्रियाओं में पोषक तत्व की क्रियात्मक भूमिका का कुल खुराक के संदर्भ में शरीर की सामान्य क्रियाओं या जैविक क्रियाकलापों पर खाद्य या इसके संघटक के उपभोग के विशिष्ट फायदाप्रद प्रभाव से संबंधित अन्य क्रियाशील दावों का उल्लेख है और ऐसे दावे स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सहयोग या क्रिया में सुधार करने या स्वास्थ्य को रूपांतरित अथवा स्वस्थ्य के परिरक्षित करने से संबंधित हैं, या कुल खुराक के संदर्भ में, किसी खाद्य या खाद्य के संघटक के उपभोग से रोग के जोखिम को कम करने, किसी रोग के बढ़ने के जोखिम को कम करने या स्वास्थ्य संबंधी दशा से संबंधित दावा किया गया है;

(ii) ''पोषणकारी दावा'' से ऐसा कोई अभ्यावेदन अभिप्रेत है जिसमें यह कथन, सुझाव या विवक्षा है कि खाद्य में ऐसे पोषक गुण हैं जो केवल ऊर्जा ही नहीं बढ़ाते अपितु इसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज भी हैं।

(iii) स्वास्थ्य दावे के संदर्भ में ''जोखिम कमी'' से किसी रोग या स्वास्थ्य संबंधी दशा के लिए किसी बड़े जोखिम कारक में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन होना अभिप्रेत है;

परंतु यह और कि तारीख 19 मार्च, 2009 को या इसमें इसके पश्चात् ऐसे पेयों को पैक करने के लिए विनिर्मित और प्रयोग की जाने वाली वापिस किए जाने योग्य कांच की नई बोतल पर ये घोषणाएं बोतल पर ही की जाएंगी।

(4) शाकाहारी / मांसाहारी संबंधी घोषणा -

(i) यह उपदर्शित करने के लिए कि यह उत्पाद मांसाहारी खाद्य है, प्रत्येक ''मांसाहारी'' खाद्य के पैकेज पर इसमें नीचे अनुबंधित अनुसार एक प्रतीक और रंग कोड द्वारा इस आशय की एक घोषणा की जाएगी। इस प्रतीक में भूरे रंग से भरा हुआ एक वृत्त होगा जिसका व्यास विनियम 2.2.2(4)(iv) में उल्लिखित तालिका में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आकार से कम नहीं होगा जो वृत्त के व्यास के दुगने किनारे वाली भूरी बाह्य रेखा वाले वर्ग के भीतर होना चाहिए जैसा कि नीचे उपदर्शित है :

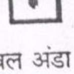
भूरा रंग

(ii) जहां किसी खाद्य पदार्थ में केवल अंडा एक मांसाहारी संघटक के रूप में अंतर्विष्ट होगा तो वहां विनिर्माता, या पैककर्ता अथवा विक्रेता उक्त प्रतीक के अलावा इस आशय की एक घोषणा करेगा।

(iii) यह उपदर्शित करने के लिए कि यह उत्पाद शाकाहारी खाद्य है, प्रत्येक ''शाकाहारी'' खाद्य के पैकेज पर इसमें नीचे अनुबंधित अनुसार एक प्रतीक और रंग कोड द्वारा इस आशय की एक घोषणा की जाएगी। इस प्रतीक में हरे रंग से भरा हुआ एक वृत्त होगा जिसका व्यास उल्लिखित तालिका में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आकार से कम नहीं होगा जो वृत्त के व्यास के दुगने किनारे वाली भूरी बाह्य रेखा वाले वर्ग के भीतर होना चाहिए जैसा कि नीचे उपदर्शित है :

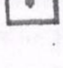
हरा रंग

(iv) लोगो का आकार

क्र. सं.	मूल प्रदर्शन पैनल का क्षेत्र	व्यास का न्यूनतम आकार मि.मी. में
1.	100 से.मी. वर्ग तक	3
2.	100 से.मी. वर्ग से ऊपर 500 से. मी. वर्ग तक	4
3.	500 से.मी. वर्ग से ऊपर 2500 से.मी. वर्ग तक	6
4.	2500 से. मी. वर्ग से ऊपर	8

यह प्रतीक -

(i) मूल प्रदर्शन पैनल पर विषम पृष्ठभूमि-वाले पैकेज;

(ii) उत्पाद के नाम अथवा ब्रांड के बिल्कुल नजदीक;

(iii) लेबलों, आधानों, पम्फलेटों, इश्तहारों, किसी भी प्रचार माध्यम के विज्ञापनों पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

परंतु यह भी कि विनियम 2.2.2(4) के उपबंध खनिज जल या पैकेजबंद पेय जल या कार्बनिकृत जल या मादक पेय या तरल और चूर्णित दूध के बारे में लागू नहीं होंगे।

(5) खाद्य योज्यकों (फुड एडेटिव्स) संबंधी घोषणा :

(i) खाद्य पदार्थों में साधारणतया प्रयोग के लिए अनुमत खाद्य योज्यकों की सूचियों में अपने-अपने वर्गों के अंतर्गत आने वाले और प्रकट खाद्य योज्यकों के लिए विशिष्ट नाम या मान्यताप्राप्त अंतरराष्ट्रीय संख्यात्मक पहचान सहित निम्नलिखित वर्ग नाम प्रयोग किए जाएंगे :

अम्लता विनायमक, अम्ल, प्रतिपिण्डक, एंटीफोमिंग कारक, प्रतिआक्सीकारक, बल्किंग कारक, रंग, रंग अवरोधन कारक, पायसीकारक, पायसकारी लवण, फर्मिंग एजेंट, फ्लोर ट्रिटमेंट एजेंट, सुवास वर्धक, फेनरोधी कारक, जेलिंग एजेंट, ग्लेजिंग एजेंट, प्रच्छादक, परिरक्षी, प्रणोदक, रेजिंग एजेंट, स्थायीकारक, मधुकारक, प्रगाढ़क।

(ii) रंगों और/या सुवासों (फ्लेवर्स) का मिलाया जाना-

(क) बाहर से मिलाए गए रंजक पदार्थ का लेबल पर उल्लेख किया जाना - जहां किसी खाद्य पदार्थ में बाहर से रंजक पदार्थ मिलाया गया हो, वहां इस प्रकार रंजित खाद्य के किसी पैकेज से संलग्न लेबल पर संघटकों की सूची के ठीक नीचे मोटे अक्षरों में निम्नलिखित कथन संप्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात् -

इसमें अनुज्ञात प्राकृतिक रंग है/हैं

या

इसमें अनुज्ञात संश्लिष्ट खाद्य रंग है/हैं

या

इसमें अनुज्ञात प्राकृतिक और संश्लिष्ट खाद्य रंग है/हैं

परंतु जहां खाद्य रंग का नाम या आई एन एम सं. के साथ ऐसा कथन संप्रदर्शित किया जाता है, तो संघटकों की सूची में उत्पाद में प्रयुक्त रंग का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

(ख) बाहर से मिलाए गए सुवासकों का लेबल पर उल्लेख किया जाना :

जहां किसी खाद्य पदार्थ में बाहर से कोई सुवासक मिलाया गया हो, वहां इस प्रकार सुवासित खाद्य के किसी पैकेज से संलग्न लेबल पर संघटकों की सूची के ठीक नीचे मोटे अक्षरों में निम्नलिखित कथन लिखा जाएगा :

इसमें मिलाया गया सुवासक अंतर्विष्ट है

(खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योगज) विनियम, 2011 के (विनियम 3.1.10(1) के अनुसार सुवासक कारक का प्रकार विनिर्दिष्ट करें)

(ग) उत्पाद में रंग और सुवासक दोनों का उपयोग किए जाने की दशा में, इस प्रकार रंजित और सुवासित खाद्य के किसी पैकेज से संलग्न लेबल पर संघटकों की सूची के ठीक नीचे मोटे अक्षरों में निम्नलिखित मिश्रित कथनों में से कोई कथन संप्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात् :

इसमें अनुज्ञात प्राकृतिक रंग और मिलाए गए सुवासक है (हैं)

या

इसमें अनुज्ञात संश्लिष्ट खाद्य रंग और मिलाए गए सुवासक है (हैं)

या

इसमें अनुज्ञात प्राकृतिक और संश्लिष्ट खाद्य रंग और मिलाए गए सुवासक है (हैं)

परंतु कृत्रिम सुवासित पदार्थों की दशा में, लेबल पर सुवासक के सामान्य नाम की घोषणा की जाएगी, किंतु प्राकृतिक सुवासित पदार्थों या प्राकृतिक तद्रूप सुवासित पदार्थों की दशा में, सुवासकों के वर्ग नाम का लेबल पर उल्लेख किया जाएगा और यह विनियम 2.2.2(5)(ii) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट लेबल घोषणा की अपेक्षा का पालन करेगा।

टिप्पण: जब रंगों और/या सुवासकों के मिलाए जाने के बारे में कथन खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य योगज) विनियम, 2011 के विनियम 2.2.2(5)(ii) और विनियम 3.2.1 के अनुसार लेबल पर संप्रदर्शित किया जाता है, तो संघटकों की सूची में इन रंगों और/या सुवासकों के मिलाए जाने का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

परंतु यह और कि जब रंगों और सुवासकों की मिश्रित घोषणा की जाती हैं, तो प्रयुक्त रंग का अंतरराष्ट्रीय संख्यात्मक पहचान संख्यांक भी या तो संघटकों की सूची में या घोषणा के साथ उपदर्शित किया जाएगा।

परंतु यह भी कि संश्लिष्ट खाद्य रंगों की विनिर्मिति और मिश्रण के प्रत्येक पैकेज पर एक लेबल लगा होगा जिस पर कुल रंजक अंश की प्रतिशतता देते हुए एक घोषणा मुद्रित की हो।

(6) विनिर्माता का नाम और पूरा पता

(i) विनिर्माता और विनिर्माण इकाई का नाम और पूरा पता, यदि ये विभिन्न स्थानों पर अवस्थित हों और यदि विनिर्माता पैकर या बोतल में भरने वाला नहीं है तो, यथास्थिति, खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर पैकिंग या बोतल में भरने वाली इकाई का नाम और पूरा पता घोषित किया जाएगा;

(ii) जहां किसी खाद्य वस्तु को किसी अन्य विनिर्माता या कंपनी के लिखित प्राधिकार के अधीन, उसके ब्रांड नाम से किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा विनिर्मित या पैक किया जाता है या बोतल में भरा जाता है, वहां लेबल पर, यथास्थिति, विनिर्माता या पैकिंग करने या बोतल में भरने वाली इकाई तथा साथ ही उस विनिर्माता या कंपनी की, जिसके लिए और जिसकी ओर से विनिर्मित अथवा पैक किया गया है या बोतल में भरा गया है, नाम और पूरा पता होगा;

(iii) जहां कोई खाद्य वस्तु भारत में आयात की जाती है वहां खाद्य पैकेज पर भारत में आयातकर्ता का नाम और पूरा पता भी होगा।

परंतु जहां भारत से बाहर निर्मित कोई खाद्य वस्तु भारत में पैक होती है या बोतल में भरी जाती है, वहां उस खाद्य वस्तु के पैकेज के लेबल पर खाद्य वस्तु के उद्गम देश का नाम और आयातकर्ता का नाम तथा उसका और भारत में पैकिंग या बोतल में भरे जाने के परिसर का पूरा पता होगा।

(7) शुद्ध परिमाण

(i) परिमाण का यथास्थिति, शुद्ध भार, मात्रा या संख्या प्रत्येक खाद्य के पैकेज पर घोषित की जाएगी; और

(ii) किसी तरल माध्यम में पैक किए खाद्य पर शुद्ध अंतर्वस्तुओं की घोषणा के अतिरिक्त, खाद्य के निष्कासित भार की घोषणा की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1 - इस अपेक्षा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "तरल माध्यम" में ज़ल, चीनी और नमक के जलीय घोल, फलों और सब्जियों के रस या सिरका या तो एकल रूप में या संयोजन में सम्मिलित हैं।

स्पष्टीकरण 2 - पैकेज में अंतर्विष्ट वस्तु की शुद्ध मात्रा की घोषणा करने के लिए आवरणों और पैक करने वाली सामग्रियों का भार अपवर्जित किया जाएगा।

(iii) जहां पैकेज में कन्फेक्शनरी की छोटी-छोटी वस्तुएं बड़ी संख्या में हों जिसमें से प्रत्येक अलग-अलग लपेटी गई हो और वस्तु के शुद्ध भार में से पैकेज की कन्फेक्शनरी की सभी वस्तुओं से लगे रैपरों का भार अपवर्जित करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं हो, वहां जिस पैकेज में ऐसी कन्फेक्शनरी है उस पर या उसके लेबल पर घोषित शुद्ध भार में ऐसे लगे रैपर का भार सम्मिलित किया जा सकता है, यदि ऐसे लगे रैपरों का कुल भार निम्नलिखित से अधिक नहीं है -

(क) जहां ऐसा लगा रैपर मोमी कागज है या ऐसा कोई कागज है जिसमें की पत्ती मोमी है या एल्युमिनियम फायल है, 8 प्रतिशत; या

(ख) किसी भी अन्य कागज की दशा में, पैकेज में रखी कन्फेक्शनरी की सभी मदों के कुल भार का जिसमें से लगे हुए रैपर भार को घटाकर 6 प्रतिशत।

(8) लॉट/कोड/बैच पहचान

कोई बैच संख्यांक या कोड संख्यांक या लॉट संख्यांक जो कि ऐसा पहचान चिह्न है जिसके द्वारा खाद्य के विनिर्माण का पता किया जा सकता है और वितरण में उसकी पहचान की जा सकती है, लेबल पर दिया जाएगा।

परंतु ऐसे पैकेजों की दशा में, जिनमें डबल रोटी और दूध, जिसमें निर्जमित दूध भी सम्मिलित है, अंतर्विष्ट है, इस खंड के अधीन विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं हैं।

(9) विनिर्माण या पैक करने की तारीख

वह तारीख, मास और वर्ष जिसमें वस्तु विनिर्मित, पैक या पूर्व-पैक की गई है, लेबल पर दी जाएगी :

परंतु विनिर्माण, पैक करने या पूर्व-पैक करने का मास और वर्ष दिया जाएगा, यदि उत्पाद की ''से पूर्व उत्तम तारीख'' तीन मास से अधिक है;

परंतु यह और कि ऐसे पैकेज की दशा में जिसमें ऐसी वस्तु है जिसकी शेल्फ में रखने की अवधि तीन मास से कम है, वह तारीख, मास और वर्ष जिसमें वस्तु विनिर्मित या तैयार या पूर्व-पैक की जाती है, लेबल पर उल्लिखित किया जाएगा।

(10) से पूर्व उत्तम और तारीख तक उपयोग

(i) निम्नलिखित रीति में मोटे अक्षरों में मास और वर्ष, जिस तक उत्पाद उपभोग के लिए उत्तम है, अर्थात् -

''मास और वर्ष----------- से पहले उत्तम''

या

पैक करने से ------------ मास से पहले उत्तम''

या

''विनिर्माण से------------------- मास से पहले उत्तम''

(टिप्पण : खाली स्थानों को भरा जाए)

(ii) ऐसे पैकेज या बोतल की दशा में, जिसमें निर्जमित या अति उच्च ताप अभिक्रियित दुग्ध, सोया दुग्ध, सुवासित दुग्ध है, ऐसे किसी पैकेज की दशा में, जिसमें डबल रोटी, ढोकला, भेलपुरी, पीजा, मालपुआ (डोनट), खोया, पनीर है या फल, सब्जी, मांस, मछली या अन्य वैसी ही वस्तु के, बिना डिब्बाबंद पैकेज, की दशा में घोषणा निम्नलिखित रीति से की जाएगी :-

''----------- तारीख/मास/वर्ष से पहले उत्तन''

या

''पैक करने से ------------ दिन पहले उत्तम''

या

''विनिर्माण से------------------- दिन पहले उत्तम''

टिप्पणी :

(क) खाली स्थान भरे जाएं

(ख) मास और वर्ष संख्यांओं में दिए जा सकेंगे

(ग) वर्ष दो अंकों में दिया जा सकेगा।

(iii) एस्पर्टेम के पैकेजों पर, तारीख से पहले उत्तम के अलावा तारीख तक प्रयोग/ सिफारिश की गई अंतिम उपभोग की तारीख/ पर्यवसान की तारीख दी जाएगी जो पैक करने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(iv) शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु आहार की दशा में, तारीख से पहले उत्तम के बजाय तारीख तक प्रयोग/ सिफारिश की गई उपभोग के लिए अंतिम तारीख/अवसान की तारीख दी जाएगी।

परंतु उपभोग के लिए तारीख से पहले उत्तम की घोषणा -

(i) शराब और लिकर

(ii) एल्कोहाली पेय पदार्थ जिनमें एल्कोहल की मात्रा 10 प्रतिशत या अधिक है, पर लागू नहीं होगी।

परंतु यह भी उपरोक्त उपबंध शुद्ध भार/शुद्ध अंतर्वस्तु, पोषणकारी जानकारी, विनिर्माता का नाम और पता, विनिर्माण की तारीख और ''से पहले उत्तम'' के सिवाय वापस की जाने योग्य कांच की बोतलों में कार्बनिकृत जल (सादा सोडा और दाब के अधीन कार्बन डाइआक्साइड से संसेचित वहनीय जल) के संबंध में लागू नहीं होंगे।

(11) आयात किए गए खाद्य के लिए उद्‌गम देश

(i) भारत में आयात किए गए खाद्य के लेबल पर उस खाद्य के उद्‌गम देश को घोषित किया जाएगा।

(ii) जब किसी खाद्य का किसी दूसरे देश में प्रसंस्करण किया जाता है जिससे खाद्य की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, तो लेबल लगाने के प्रयोजन के लिए उस देश को उद्‌गम देश होना समझा जाएगा जिस देश में प्रसंस्करण किया जाता है।

(12) प्रयोग करने के लिए अनुदेश :

(i) प्रयोग करने के लिए अनुदेशों को, जिसमें पुनर्गठन भी सम्मिलित है, खाद्य पदार्थ के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, यदि आवश्यक है, लेबल पर सम्मिलित किया जाएगा।

भाग 2.3 : घोषणा की रीति

विनियम 2.3.1 : साधारण शर्तें

(1) कोई जानकारी या चित्रित युक्ति लिखित, मुद्रित या लेखाचित्रित लेबल में प्रदर्शित की जा सकेगी बशर्ते यह इन विनियमों की अपेक्षाओं के विरोध में न हो।

(2) इन नियमों के अधीन पैकेज पर की जाने वाली प्रत्येक अपेक्षित घोषणा -

(i) सुपाठ्य, सुस्पष्ट, निश्चित, सरल और असंदिग्ध होगी,

(ii) आकार, संख्या और रंग में सहजदृश्य होगी,

(iii) यथा साध्य ऐसी शैली या इस प्रकार का अक्षरांकन होगा जो पैकेज पर उपयोग किए गए अन्य प्रकार, अक्षारांकन या ग्राफिक सामग्री से सुभिन्न विरोध में बड़े, स्पष्ट और सहजदृश्य रूप से प्रस्तुत किया गया हो और ऐसे रंग में पैकेज पर मुद्रित या उत्कीर्णित की गई होगी जो लेबल की पृष्ठभूमि से सहजदृश्य भिन्न रूप में हो।

परंतु -

(क) जहां कोई लेबल सूचना किसी शीशे या प्लास्टिक की सतह पर धूमिल, अभिरूपित या सांचे में ढाली गई हो या जहां ऐसी सूचना किसी पैकेज पर उच्चित्रित या छिद्रित की गई हो, वहां ऐसी सूचना को विषम रंगों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा;

(ख) जहां पैकेज पर कोई घोषणा हस्तलिखित या हस्तआलेख में मुद्रित है, वहां ऐसी घोषणा स्पष्ट, असंदिग्ध और सुपाठ्य होगी।

(3) पैकेज पर कोई ऐसी घोषणा नहीं की जाएगी जिसे उसमें अंतर्विष्ट द्रव वस्तु के माध्यम से पढ़ना अपेक्षित हो।

(4) जहां किसी पैकेज के लिए बाहरी आधान या आवरण की व्यवस्था की गई है, वहां ऐसे आधान या आवरण पर भी ऐसी सभी घोषणाएं, जिनका पैकेज पर होना अपेक्षित है, अंतर्विष्ट होंगी, सिवाए वहां के जहां ऐसा आधान या आवरण स्वयं पारदर्शी है और पैकेज पर की घोषणाएं ऐसे बाहरी आधान या आवरण के माध्यम से आसानी से पठनीय हैं।

(5) लेबलों पर मिथ्या या भ्रामक कथन नहीं होंगे : लेबल पर कोई ऐसा कथन, दावा, डिजाइन, युक्ति, फैंसी नाम या संक्षेपाक्षर नहीं होगा जो जैकेज में अंतर्विष्ट खाद्य से संबंधित या उक्त खाद्य की मात्रा या उसके पोषक मूल्य या उसके उद्भव के स्थान के संदर्भ में मिथ्या या भ्रामक है :

परंतु यह विनियम बार्ले, शर्करा बुल्स आई, क्रीम क्रेकर जैसी कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और मिठाइयों के स्थापित कारबार या फैंसी नामों के संबंध में या अंतरराष्ट्रीय व्यापार पद्धति में विद्यमान जिंजर बीयर या गोल्ड स्पाट जैसे या अन्य नाम के बातिल जल के संबंध में लागू नहीं होगा।

2.3.2 प्रधान प्रदर्शन पैनल :

इन विनियमों के अधीन अपेक्षित जानकारी पैकेज या आधान के प्रधान प्रदर्शन पैनल पर दी जाएगी और ऐसी जानकारी निम्नलिखित रीति में दी जा सकेगी :

(क) सभी जानकारी एक साथ समूहित की जानी चाहिए और एक स्थान पर दी जाए।

या

पूर्व-मुद्रित जानकारी एक साथ समूहित की जाए और एक स्थान पर दी जाए; और

(ख) आन-लाइन जानकारी या जो पूर्व मुद्रित नहीं है, अन्य स्थान पर एक साथ समूहित की जाए।

(1) प्रधान प्रदर्शन पैनल का क्षेत्र

प्रधान प्रदर्शन पैनल का क्षेत्रफल निम्नलिखित से कम न हो -

(क) किसी आयताकार आधान की दशा में, अधिकतम क्षेत्रफल वाले ऐसे आधान के पैनल की ऊंचाई और चौड़ाई के गुणन द्वारा प्राप्त उत्पाद का चालीस प्रतिशत;

(ख) बेलनाकार या लगभग बेलनाकार, गोलाकार या लगभग गोलाकार, ओण्डाकार या लगभग अंडाकार आधान की दशा में, ऐसे आधान की ऊंचाई और औसत परिधि के गुणन द्वारा प्राप्त उत्पाद का बीस प्रतिशत; या

(ग) किसी अन्य आकार के आधान की दशा में, आधान के कुल सतही क्षेत्रफल का बीस प्रतिशत सिवाय उस स्थान का जहां कोई लेबल आधान पर सुरक्षित रूप से चिपकाया गया हो, ऐसे लेबल का सतही क्षेत्रफल आधान के कुल सतही क्षेत्रफल के दस प्रतिशत से कम न हो।

परंतु पांच घन सेंटीमीटर या कम की क्षमता वाले पैकेज की दशा में प्रधान प्रदर्शन पैनल पैकेज या आधान पर मजबूती से चिपका हुआ एक कार्ड या पट्टी होगी और उस पर इन विनियमों के अधीन अपेक्षित सूचना लिखी होगी।

2.3.3 घोषणा में संख्या की ऊंचाई

(i) प्रधान प्रदर्शन पैनल पर इन विनियमों के अधीन अपेक्षित किसी संख्या की ऊंचाई निम्नलिखित से कम नहीं होगी :

(क) यदि शुद्ध मात्रा, भार या घनत्व में घोषित की गई हो, नीचे सारणी-1 में यथादर्शित।

(ख) यदि शुद्ध क्वालिटी लंबाई, क्षेत्रफल या संख्या में घोषित की गई हो तो सारणी-2 में यथादर्शित।

सारणी - I

	संख्यांक की न्यूनतम ऊंचाई	मि.मी. में संख्यांक की न्यूनतम ऊंचाई	
क्र.सं.	भार या घनत्व में शुद्ध मात्रा	सामान्य मामला	जब आधान पर धूकिल, अभिरूपित, सांचे में ढाली गई या छिद्रित की गई
1.	50 ग्रा./मि.ली. तक	1	2
2.	50 ग्रा./मि.ली. से अधिक 200 ग्रा./ मि.ली. तक	2	4
3.	200 ग्रा./मि.ली. से अधिक 1 कि. ग्रा./ लिटर तक	4	6
4.	1 कि.ग्रा./लिटर से अधिक	6	8

सारणी - II जब शुद्ध क्वालिटी लंबाई, क्षेत्रफल या संख्या में है

		मि.मी. में संख्यांक की न्यूनतम ऊंचाई	
क्र.सं.	भार/प्रधान प्रदर्शन पैनल का क्षेत्रफल	सामान्य मामला	जब आधान पर धूकिल अभिरूपित, सांचे में ढाली गई या छिद्रित की गई
1.	100 सें. मी. तक वर्गाकार	1	2
2.	100 सें. मी. से अधिक वर्गाकार 500 सें. मी. तक वर्गाकार	2	4
3.	500 सें. मी. से अधिक वर्गाकार 2500 सें. मी. तक वर्गाकार	4	6
4.	2500 सें. मी. से अधिक वर्गाकार	6	8

(ii) 2.2 के अधीन घोषणा में के अक्षरों की ऊंचाई एक मि.मी. से कम नहीं होगी। जब धूकिल, अभिरूपित, सांचे में ढाले गए, उधिवत्रित या छिद्रित किए गए हों तो अक्षरों की ऊंचाई 2 मि.मी. से कम नहीं होगी।

परंतु किसी भी अक्षर या संख्या की चौड़ाई उसकी ऊंचाई के एक तिहाई से कम नहीं होगी, किंतु यह परंतुक संख्या "1" और अक्षर i, I और II की दशा में लागू नहीं होगा।

परंतु यह और कि 2.4 के अधीन अपेक्षित लेबल घोषणा की दशा में उत्पाद के उपयोग या तैयारी के लिए अनुदेश विनिर्दिष्ट करने वाली घोषणा की दशा के सिवाय, अक्षरों का आकार 3 मि.मी. (एमएम) से कम नहीं होगा।

2.4 : विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं/ लेबल लगाने की रीति पर निर्बंधन

2.4.1 : शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु खाद्य पर लेबल लगाना

(1) ऐसे शिशु दुग्ध अनुकल्प/शिशु खाद्य पदार्थों को, जिनके मानक खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के अधीन विहित नहीं किए गए हैं, विक्रय के लिए विनिर्मित, विक्रय के लिए प्रदर्शित या विक्रय के लिए भंडारित ऐसे खाद्य पदार्थों और इनके लेबल का केवल प्राधिकरण से अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् किया जाएगा।

(2) इन नियमों में अंतर्विष्ट लेबल लगाने की अपेक्षाओं से संबंधित किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य के प्रत्येक आधान या उसपर लगाए गए किसी भी लेबल पर स्पष्ट, सहजदृश्य और आसानी से पाठ्य रीति में बड़े अक्षरों में "महत्वपूर्ण सूचना" शब्द उपदर्शित किए जाएंगे और तीन निम्नलिखित विशिष्टियां उपदर्शित की जाएंगी, अर्थात् -

(i) बड़े अक्षरों में यह कथन कि "मां का दूध आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है" प्रयोग किए गए अक्षर पांच मिलीमीटर से कम नहीं होंगे और ऐसा कथन, शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य के प्रत्येक आधान या उस पर चिपकाए गए किसी लेबल, के मध्य भाग में होगा। मुद्रित या प्रयोग किए गए पाठ का रंग, यथास्थिति, लेबल, आधान की पृष्ठभूमि से भिन्न होगा। 'शिशु' खाद्य प्रस्तुति की केवल (छह माह की आयु के पश्चात् और दो वर्ष की आयु तक) उपदर्शित करते हुए एक कथन होगा;

(ii) यह कथन कि शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु का उपयोग, उसके उपयोग की आवश्यकता और उसके उपयोग की उचित पद्धति के बारे में केवल किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह पर ही किया जाए;

(iii) यह चेतावनी कि शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य, शिशु के पोषण का एकमात्र स्रोत नहीं है;

(iv) विनिर्माण की प्रक्रिया (उदाहरणार्थ स्प्रे शुष्कित), शिशु खाद्यों को छोड़कर, उपदर्शित करते हुए समुचित और स्वास्थ्यकर निर्मिति के लिए, जिसके अंतर्गत बर्तनों, बोतलों और चूचकों को साफ करना है, अनुदेश और अनुचित निर्मिति के स्वास्थ्य संबंधी परिसंकटों के विरुद्ध निम्नानुसार चेतावनी उपदर्शित करने वाला एक कथन -

''चेतावनी/सावधान-शिशु खाद्य/शिशु दुग्ध अनुकल्प की ध्यानपूर्वक और स्वास्थ्यकर निर्मिति स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक आवश्यक है। उससे कम स्कूपों का प्रयोग न करें जितने का निदेश दिया गया है, क्योंकि तनु आहार से आपके शिशु को उतने पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, जितनी उसे आवश्यक है। उससे अधिक स्कूपों का प्रयोग न करें जितने का निदेश दिया गया है क्योंकि सांद्रित आहार से उतना पानी नहीं मिल पाएगा जितनी आपके शिशु को आवश्यक है।''

(v) उत्पाद के प्रति 100 ग्राम में पोषकों का लगभग संघटन, जिसके अंतर्गत सहस्त्र कैलोरियां/जौल में उसकी ऊर्जा मूल्य भी है;

(vi) भंडारकरण स्थिति, जिसमें विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन हो कि ''किसी वायुरोधी आधान में ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारण करें'' या ऐसा ही कथन (उल्लितखत अवधि के भीतर अंतर्वस्तु का उपयोग के लिए आरंभ करने के पश्चात् या समाप्ति तारीख जो भी पूर्वतर हो) किया गया हो।

(vii) आहार चार्ट और प्रयोग के लिए निदेश तथा बचे हुए खाद्य को फेंकने के लिए अनुदेश;

(viii) मापक स्कूप (स्तर या पुंजित) के प्रयोग के लिए अनुदेश और प्रति स्कूप (पैक के साथ दिया जाने वाला स्कूप) मात्रा;

(ix) बैच संख्यांक, इसके विनिर्माण की तारीख और वर्ष तथा अवसान की तारीख, उपदर्शित किया जाना;

(x) यदि शिशु दुग्ध अनुकल्प से भिन्न उत्पाद की बाबत यह दावा किया जाए कि उसमें उच्च क्वालिटी प्रोटीन है तो उससे न्यूनतम प्रोटीन क्षमता अनुपात (पीईआर) 2.5 होगा।

(xi) खाद्य योज्यकों के विनिर्दिष्ट नाम, यदि अनुज्ञात हैं, समुचित वर्ग नामों के अतिरिक्त घोषित किए जाएंगे।

(3) विनियम 2.4.1(2) में निर्दिष्ट शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य से संबंधित किसी आधान या लेबल पर शिशु या ची या दोनों का चित्र नहीं होगा। इसमें शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य के विक्रय में वृद्धि के लिए अभिकल्पित चित्र या अन्य चित्रित सामग्री या वाक्यांश नहीं होंगे। ''मानवीकृत'' या ''मातृत्व'' या वैसे ही कोई समरूप शब्द प्रयोग नहीं किए जाएंगे। शिशु खाद्य या शिशु दुग्ध अनुकल्प के पैकेज और/या लेबल में ''पूर्ण प्रोटीन खाद्य'', ''ऊर्जा आहार, पूर्ण आहार'' या ''स्वास्थ्य आहार'' या ऐसे अन्य समरूप पदों को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

(4) समय से पूर्व (37 सप्ताह से पूर्व) जन्म लेने वाले शिशु/ जन्म के समय कम वजन वाले शिशु (2500 ग्राम से कम) के लिए शिशु दुग्ध अनुकल्प के आधान या उन पर लगाए गए लेबलों पर निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी की जाएगी, अर्थात् -

(i) मध्य भाग में उत्पाद के नाम के साथ बड़े अक्षरों में समय से पूर्व (37 सप्ताह से पूर्व) जन्म लेने वाले शिशु/जन्म के समय कम वजन (2.5 कि.ग्रा. से कम) शब्द;

(ii) यह कथन कि ''जन्म के समय कम वजन वाले शिशु दुग्ध अनुकल्प को, मां का दूध पर्याप्त रूप में उपलब्ध होते ही चिकित्सीय सलाह से बंद कर दिया जाएगा''; और

(iii) बड़े अक्षरों में यह कथन ''चिकित्सीय सलाह के अधीन ही दिया जाए'' ।

(5) ऐसे उत्पाद, जिसमें न तो दुग्ध है और न ही दुग्ध के व्युत्पन्न सम्मिलित हैं, सहजदृश्य रीति में ''दुग्ध या दुग्ध उत्पाद नहीं है'' लेबल लगाया जाएगा।

(6) लैक्टोज या लैक्टोज और सुक्रोस हज्म न कर सकने वाले शिशुओं के लिए शिशु दुग्ध अनुकल्प के आधान या उस पर चिपकाए गए लेबल पर बड़े अक्षरों में सहज दृश्य रूप में ''लैक्टोज मुक्त या सुक्रोस मुक्त या लैक्टोज और सुक्रोस मुक्त'' उपदर्शित होगा और यह कथन किया जाएगा कि इसे ''चिकित्सीय सलाह से लिया जाएगा'', और निम्नलिखित कथन भी होंगे, अर्थात् -

''लैक्टोज मुक्त शिशु दुग्ध अनुकल्प का प्रयोग केवल अतिसार की दशा में लैक्टोज हज्म न करने के कारण किया जाना चाहिए।

लैक्टोज मुक्त/सुक्रोस मुक्त शिशु दुग्ध अनुकल्प को बंद कर दिया जाना चाहिए, यदि हज्म न करने के लक्षणों में कोई सुधार नहीं है।''

(7) गाय के/ भैंस के दुग्ध प्रोटीन या सोया प्रोटीन से एलर्जी होने वाले शिशुओं के लिए शिशु दुग्ध अनुकल्प के आधान या उस पर चिपकाए गए लेबल पर बड़े अक्षरों में सहजदृश्य रूप में ''हाइपोएलर्जेनिक फार्मूला'' उपदर्शित होगा और यह कथन किया जाएगा कि इसे ''चिकित्सीय सलाह से लिया जाए।''

(8) घोषणा के चारों ओर रेखा होगी :

जहां ''बच्चों के लिए अनपुयक्त'' शब्दों का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है ।

(i) परिवर्ती रेखा की दूरी :

''बच्चों के लिए अनुपयुक्त'' शब्दों के किसी भाग और इन शब्दों को घेरने वाली परिवर्ती रेखा के बीच की दूरी 1.5 मि. मी. से कम नहीं होगी।

2.4.2 : खाद्य तेल और वसा पर लेबल लगाना

(1) खाद्य तेल और वसा के पैकेज, लेबल या विज्ञापन पर ''अतिपरिष्कृत'', ''अतिरिक्त परिष्कृत'', ''सूक्ष्म परिष्कृत'', दोहरा परिष्कृत'', ''परा परिष्कृत'', ''प्रति कोलेस्टोराल'', ''कोलेस्टोराल फाइटर'', ''हृदय के लिए प्रशमनकारी'', ''कोलेस्टोराल अनुकूल'', ''संतृप्त वसा मुक्त'' जैसे पदों या ऐसे अन्य पदों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो उत्पाद की क्वालिटी की अतिश्योक्ति है।

(2) प्रत्येक आधान जिसमें विलायक निष्कर्षित तेल या बितैलित चूर्ण या खाद्य आटा विक्रय के लिए पैक किया जाता है, तो उत्पादक द्वारा विक्रय के समय उस पर अंग्रेजी या हिंदी (देवनागरी लिपि) में निम्नलिखित विशिष्टियां लगाई जाएंगी :

(i) नाम, व्यापार नाम, यदि कोई है, या यथास्थिति, विलायक निष्कर्षित तेल या बितैलित चूर्ण या खाद्य आटे का वर्णन;

(ii) ऐसे तेल की दशा में जो खाद्य वनस्पति तेल/ वनस्पति के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.2.6(1) में विनिर्दिष्ट ''परिष्कृत'' श्रेणी के विलायक निष्कर्षित तेलों के लिए गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप नहीं है, वहां लेबल पर 50 मि.मी. से अन्यून आकार की एक घोषणा निम्नलिखित रूप में की जाएगी;

(क) ऐसे तेलों की दशा में जो खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.2.6(1) में विनिर्दिष्ट ''अर्ध-परिष्कृत'' या ''अपरिष्कृत-श्रेणी-1'' श्रेणियों के तेल के लिए अपेक्षाओं का पालन करते हैं, ''सीधे खाद्य उपभोग के लिए नहीं।''

(ख) ऐसे तेलों की दशा में जो ऊपर मद (क) के अधीन दी गई अपेक्षाओं का पालन नहीं करते हैं, ''केवल औद्योगिक अखाद्य प्रयोगों के लिए''

(iii) उत्पादक का नाम और कारबार विशिष्टियां;

(iv) आधान में अंतर्वस्तुओं का शुद्ध भार;

(v) बैच संख्यांक, विनिर्माण का मास और वर्ष

परंतु जहां विलायक निष्कर्षित तेलों की ढुलाई थोक में रेल टैंक-बैगनों या सड़क टैंकरों में की जाती है, या जहां बितैलित चूर्ण या खाद्य आटे की थोक में या तो खत्ती (साइलो) में भंडारकरण के लिए ढुलाई की जाती है या थोक नौभार के लिए पोत पर अंतरित किया जाता है, वहां पर्याप्त होगा, यदि उपर्युक्त विशिष्टियां संलग्न दस्तावेजों में दी जाती हैं।

(3) प्रत्येक आधान पर जिसमें विलायक पैक किया जाता है, इसके विनिर्माता या व्यौहारी द्वारा विक्रय के समय भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण चिह्न लगाया जाएगा;

(4) प्रत्येक आधान पर जिसमें वनस्पति, मारगरीन, बेकरी खस्ताहार, सम्मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल, मिश्रित वसा, प्रैड और परिष्कृत वनस्पति तेल पैक किया जाता है, इन विनियमों में उपबंधित लेबल लगाने संबंधी अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टियां अंग्रेजी या हिंदी (देवनागरी लिपि में) होंगी;

(क) अंतर्वस्तुओं का नाम/वर्णन, ''आर्जीमोन तेल से मुक्त'';

(ख) अंतर्वस्तुओं का परिमाण/मात्रा।

(5) परिष्कृत वनस्पति तेल के प्रत्येक आधान पर निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात :-

परिष्कृत (तेल का नाम) तेल

परंतु आयातित खाद्य तेल के आधान पर तेल के नाम के पहले "आयातित" शब्द भी अंकित होगा।

(6) प्रत्येक पैकेज पर जिसमें मूंगफली के तेल के साथ पामोलीन का सम्मिश्रण है, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् -

पामोलीन और मूंगफली के तेल का सम्मिश्रण पामोलीन ------------ प्रतिशत मूंगफली ---------------प्रतिशत

(7) प्रत्येक पैकेज पर जिसमें सरसों के तेल के साथ आयातित तोरिया के तेल का सम्मिश्रण है निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात्-

आयातित तोरिया के तेल और सरसों के तेल का सम्मिश्रण आयातित तोरिया तेल --------------प्रतिशत सरसों का तेल --------------- प्रतिशत

(8) 30 प्रतिशत से अधिक चावल चोकर तेल से बनाए गए वनस्पति के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात्-

वनस्पति का यह पैकेज भार में 30 प्रतिशत से अधिक चावल चोकर तेल से बनाया गया है

(9) वसा (फेट) प्रेड के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात् -

दुग्ध वसा प्रेड ----------------- से पहले प्रयोग करें। पैक करने की तारीख -------------------------- भार के अनुसार कुल दुग्ध वसा पदार्थ का प्रतिशत -------------------------- मिश्रित वसा प्रेड --------------------- से पहले प्रयोग करें। पैक करने की तारीख --------------------- भार के अनुसार प्रतिशत ------------------ दुग्ध वसा पदार्थ ------------------------- भार के अनुसार कुल दुग्ध वसा पदार्थ का प्रतिशत --------------------------
वनस्पति वसा प्रेड ---------------------से पहले प्रयोग करें। पैक करने की तारीख --------------------- भार के अनुसार कुल वसा पदार्थ का प्रतिशत --------------------------

(10) ऐसे पैकेज पर, जिसमें वनस्पति तेलों में अन्नाटो रंग हो, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात्-

प्रयुक्त -------------- (तेल/तेलों का नाम) तेल में अन्नाटो रंग

(11) प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें खाद्य तेलों का अधिमिश्रण है, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात्-

इस सम्मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल में निम्नलिखित का अधिमिश्रण है :

(i) ------------------ भार के अनुसार -------------------- प्रतिशत

(ii) ------------------ भार के अनुसार ------------------- प्रतिशत

(खाद्य वनस्पति तेल का नाम और प्रकृति अर्थात् कच्चा या परिष्कृत फर्म)

पैक करने की तारीख ------------------

उत्पाद के नाम के साथ सामने मध्य पैनल पर काले मोटे अक्षरों में निम्नलिखित घोषणा भी होगी.-

खुला विक्रय न किया जाए

2.4.3 : अनुज्ञात खाद्य रंगों पर लेबल लगाना

(1) कोई भी व्यक्ति किसी खाद्य में या उस पर प्रयोग के लिए अनुज्ञात संश्लिष्ट खाद्य रंग का तब तक विक्रय नहीं करेगा जब तक कि उसके आधान पर निम्नलिखित विशिष्टियों का उल्लेख करने वाला लेबल न लगा हो :

(i) "खाद्य रंग" शब्द

(ii) रंजक पदार्थ के रासायनिक वाणिज्यिक नाम और रंग इंडेक्स।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी अनुज्ञात संश्लिष्ट खाद्य रंगों के सम्मिश्रण का खाद्य में या उस पर प्रयोग के लिए तब तक विक्रय नहीं करेगा जब तक इसके आधान पर निम्नलिखित विशिष्टियों का उल्लेख करने वाला लेबल न लगा हो :

(i) "खाद्य रंग मिश्रण" शब्द

(ii) सम्मिश्रण में अंतर्विष्ट रंजक पदार्थ के रासायनिक और सामान्य या वाणिज्यिक नाम और रंग इंडेक्स।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी खाद्य पदार्थ में या उस पर प्रयोग के लिए किसी अनुज्ञात संश्लिष्ट खाद्य रंग की निर्मिति का विक्रय तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर निम्नलिखित विशिष्टियों का उल्लेख करने वाला लेबल न लगा हो ः

(i) "खाद्य रंग निर्मिति" शब्द

(ii) निर्मिति में प्रयोग किए गए विभिन्न संघटकों के नाम।

2.4.4 : किरणित खाद्य पर लेबल लगाना

किरणित खाद्य : ऐसे खाद्य के लेबत पर जिसे आयनित विकिरण से उपचारित किया गया है, उपचार को उपदर्शित करते हुए खाद्य के नाम के नजदीक एक लिखित कथन होगा।

इसके अतिरिक्त किरणित खाद्य के सभी पैकेजों पर निम्नलिखित घोषणा और लोगो होगा, अर्थात् -

किरणित पद्धति द्वारा प्रसंस्कृत

किरणन की तारीख ------------

किरणन इकाई का अनुज्ञप्ति सं. ------------------------

किरणन का प्रयोजन -------------------

2.4.5 : अन्य उत्पाद पर विनिर्दिष्ट लेबल लगाने संबंधी अपेक्षाएं

(1) काफी-कासनी मिश्रण : (i) प्रत्येक पैकेज जिसमें काफी और कासनी का मिश्रण है, एक लेबल लगा होगा जिस पर निम्नलिखित घोषणा मुद्रित होगी :

कासनी सम्मिश्रित काफी इस मिश्रण में निम्नलिखित है
काफी ---------------- प्रतिशत
कासनी ------------------ प्रतिशत

(ii) प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें तत्काल काफी-कासनी मिश्रण है, एक लेबल लगा होगा जिस पर निम्नलिखित घोषनाएं मुद्रित होंगी :

काफी और कासनी के मिश्रण से बनी तत्काल काफी-कासनी मिश्रण
काफी---------------------------- प्रतिशत
कासनी------------------------- प्रतिशत

(2) संघनित दूध या शुष्कित (सूखा) दूध -

ऐसे प्रत्येक पैकेज पर जिसमें संघनित दूध या शुष्कित (सूखा) दूध हो एक ऐसा लेबल लगेगा जिस पर निम्नलिखित में से ऐसी एक घोषणा जो लागू हो या सारत: वैसे ही आशय की ऐसी अन्य घोषणा मुद्रित होगी जो राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञात की जाए।

(i) संघनित दूध (अमधुरित) की दशा में :

संघनित दूध (अमधुरित) (वाष्पित दूध)
इस टिन में (x)---------------------------------------
------------------------ लिटर टोंड दूध के समतुल्य है

(ii) संघनित दूध (मधुरित) की दशा में :

संघनित दूध (मधुरित)
इस टिन में मिलाई गई
चीनी सहित (x)--
------------------------- लिटर टोंड दूध के समतुल्य है

(iii) संघनित मखनिया दूध (अमधुरित) की दशा में :

संघनित मखनिया दूध (अमधुरित)
(वाष्पित मखनिया दूध)
इस टिन में (x)---------------------------------------
------------------------ लिटर मखनिया दूध के समतुल्य है

(iv) संघनित मखनिया दूध (मधुरित) की दशा में :

संघनित मखनिया दूध (मधुरित) इस टिन में मिलाई गई चीनी सहित (x)-- ------------------------- लिटर मखनिया दूध के समतुल्य है

(v) संघनित दूध (मधुरित और सुरुचित) की दशा में :

यह------------------------------ से सुरुचित किया गया है। यह छह मास से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए नहीं है।

(vi) अति-उच्च तापमान (यूएचटी) अभिक्रिया द्वारा निर्जीवाणुकृत संघनित दुग्ध/संघनित मखनिया दुग्ध (अमधुरित) की दशा में :

यह यूएचटी प्रक्रिया द्वारा निर्जीवाणुकृत किया गया है

(vii) दुग्ध चूर्ण की दशा में :

दुग्ध चूर्ण इस टिन में (x) -- लिटर टोंड दूध के समतुल्य है।

(viii) दूध चूर्ण की दशा में जिसमें लैसिथिन अंतर्विष्ट है :

इस पैकेज में दुग्ध चूर्ण में लैसिथिन अंतर्विष्ट है

(ix) भागत: मखनिया दुग्ध चूर्ण की दशा में :

भागत: मखनिया दुग्ध चूर्ण इस टिन में ---------------------- प्रतिशत दूध वसा वाला (x)---------------------- लिटर भागत: मखनिया दूध के समतुल्य है।

(x) मखनिया दुग्ध चूर्ण की दशा में :

मखनिया दुग्ध चूर्ण इस टिन में (x) -- लिटर मखनिया दूध के समतुल्य है।

(3) प्रत्येक मामलों में इस घोषणा को (x) के स्थान पर शब्दों और अंकों में समुचित संख्या लिखकर पूरा किया जा सकेगा। उदाहरणार्थ "डेढ़ ($1\frac{1}{2}$)" किसी भी भाग को, यथास्थिति, उसका आठ चौथाई, या आधा के रूप में प्रकट किया जाएगा।

(4) संघनित दूध या शुष्कित (सूखा) दूध अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेज पर विहित घोषणा में अंतर्विष्ट तुल्यता के कथनों के प्रति या ''मशीन का मखनिया'', ''मखनिया'' या ''बच्चों के लिए अनुपयुक्त'' शब्दों पर कोई टिप्पणी, उनके स्पष्टीकरण या उनके प्रति कोई निर्देश, तनुकरण के बारे में निम्नलिखित अनुदेशों के सिवाय, नहीं लिखा जाएगा :

''इस पैकेज की अंतर्वस्तु की सहायता से, यथास्थिति, टोंड दूध या मखनिया दूध के संयोजन से अन्यून तरल तैयार करने के लिए इस संघनित दूध या शुष्कित (सूखा) दूध के आयतन के एक भाग में पानी का आयतन के (यहां भाग संख्या लिखे) मिलाएं।''

मिठासयुक्त संघनित दुग्ध और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों पर जो शिशु आहार के लिए उपयुक्त नहीं है ऐसा कोई अनुदेश नहीं होगा कि उसका शिशु आहार के लिए रूपांतरण किया जा सकता है।

(5) जहां संघनित मखनिया दूध या शुष्कित (सूखा) मखनिया दूध के पैकेज के लेबल पर अंतर्वस्तु के वर्णन या अंतर्वस्तु के वर्णन के भाग के रूप में ''दूध'' शब्द लिखा जाता है वहां उसके ठीक पूर्व या बाद में यथास्थिति, ''मशीनी मखनिया'' या ''भागतः मखनिया'' शब्द रखे जाएंगे।

(6) तरल दूध : तरल दूध की बोतलों के ढक्कनों/पाउच/टेटरापैक पर उनमें भरे हुए दूध का स्वरूप स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा। यह संकेत या तो पूर्णरूपेण होगा या नीचे दर्शित संक्षेपाक्षरों द्वारा किया जा सकेगा :

(i) भैंस के दूध का संकेत 'भैं' अक्षर से किया जा सकेगा;

(ii) गाय के दूध का संकेत 'गा' अक्षर से किया जा सकेगा;

(iii) बकरी के दूध का संकेत 'ब' अक्षर से किया जा सकेगा;

(iv) मानकीकृत दूध का संकेत 'मा' अक्षर से किया जा सकेगा;

(v) टोण्ड दूध का संकेत 'टो' अक्षर से किया जा सकेगा;

(vi) डबल टोण्ड दूध का संकेत 'डटो' अक्षर से किया जा सकेगा;

(vii) सपरेटा दूध का संकेत 'स' अक्षर से किया जा सकेगा;

(viii) पास्तरीकृत दूध का संकेत 'पा' अक्षर से किया जा सकेगा जिसके बाद दूध का वर्ग भी लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए पास्तरीकृत भैंस के दूध पर 'पाभैं' अक्षर होगा।

(ix) अनुकल्पतः दूध के पैक/ढक्कन/बैग के रंग, उनमें भरे दूध की प्रकृति को उपदर्शित करने वाले होंगे। रंगों के वर्गीकरण को ऐसे स्थानों पर संप्रदर्शित किया जाएगा जहां दूध का विक्रय/भंडारकरण किया जाता है या उसे विक्रय के लिए दर्शित किया जाता है, परन्तु यह तब जब कि उसके बारे में संबद्ध (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के साथ-साथ प्रज्ञापित कर दिया गया हो सूचना के अन्य साधनों, जैसे कि प्रेस का उपयोग भी किया जा सकेगा।

(7) आइसक्रीम - आईसक्रीम या मिश्रित आईसक्रीम का प्रत्येक व्यौहारी जो सड़क पर या लोक समागम के किसी अन्य स्थान पर किसी स्टाल से या गाड़ी से, ठेला या अन्य यान से या किसी टोकरी, फायल, ट्रे या अन्य आधान से जिसको किसे स्टाफ या यान के बिना प्रयोग किया जाता है, आईसक्रीम या आईस कैण्डी विक्रय करता है या विक्रय के लिए प्रस्थापित करता है या अभिदर्शित करता है तो वह विनिर्माता, यदि कोई हो, के नाम और पते के साथ-साथ अपना नाम और पता, यथास्थिति, दुकान, यान या आधान पर साफ-साफ और सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित करेगा।

(8) हिंगरा - ऐसे प्रत्येक आधान पर जिसमें हिंगरा है, एक लेबल होगा जिस पर निम्नलिखित प्ररूप में एक घोषणा मुद्रित होगी, अर्थात् -

''इस आधान में ईरान, अफगानिस्तान से (आयातित) हिंगरा है और यह प्रमाणित किया जाता है कि वह खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 1955 में अधिकित मानकों के अनुरूप है।

(9) हल्की काली मिर्च - ऐसे प्रत्येक पैकेज पर जिसमें हल्की काली मिर्च है, एगमार्क मोहर और न विनियमों के विनियम 2.2.1 और 2.2.2 के अधीन विहित अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित लेबल होगा :

हल्की काली मिर्च (हल्की बैरीज)

(10) ऐसे प्रत्येक पैकेज पर जिसमें 'कैसिया छाल' हो निम्नलिखित लेबल लगा होगा ः

कैसिया छाल (तेज)

(11) ऐसे प्रत्येक पैकेज पर जिसमें 'दालचीनी' हो निम्नलिखित लेबल लगा होगा ः

दालचीनी (सीनामोन)

(12) लाल मिर्च के प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें खाद्य तेल मिलाया गया है निम्नलिखित लेबल होगा :

इस पैकेज के लाल मिर्चों में खाद्य तेल (तेल का नाम) दो प्रतिशत से अनधिक सम्मिश्रित है।

(13) आईसक्रीम, कुल्फी, कुल्फा और चाकलेट आईसक्रीम के प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें स्टार्च है, लेबल पर विनियम 2.7. 1(2) में यथा विनिर्दिष्ट एक घोषणा होगी।

(14) मसाला : तेल में तले हुए मिश्रित मसाले के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल होगा

मिरित मसाला (तला हुआ) यह मसाला ----------------(प्रयुक्त खाद्य तेल का नाम) में तला गया है।

(15) आमिश्रित हींग : आमिश्रित हींग के प्रत्येक आधान पर आमिश्रण में प्रयुक्त खाद्य स्टार्च या खाद्य अनाज के आटे का लगभग संयोजन लेबल पर उपदर्शित किया जाएगा।

(16) ऐसे प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें संशोधक या विरंजन कारकों से अभिक्रियित किया गया मैदा है, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् -

संशोधक/विरंजन कारकों से अभिक्रियित आटा, केवल बेकरियों द्वारा प्रयोग के लिए

(17) इन नियमों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो माल्टेड दुग्ध आहार के प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें कैरामल को छोड़कर प्राकृतिक रंजग द्रव्य मिला हुआ है, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् -

इस पैकेज में माल्टेड मिरित दूध में अनुज्ञात प्राकृतिक रंजक द्रव्य है

(18) ऐसे खाद्य के, जिसमें अतिरिक्त मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिला है, प्रत्येक विज्ञापन और/या पैकेज पर, निम्नलिखित घोषणा होगी, अर्थात् -

"---(खाद्य का नाम) के इस पैकेज में अतिरिक्त मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिला है। यह 12 मास से कम आयु के बच्चों के लिए अनुपयुक्त है।

(19) परिष्कृत साल बीज वसा के प्रत्येक आधान पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

परिष्कृत साल बीज वसा केवल बेकरी और कनफेक्शनरी में उपयोग के लिए

(20) नमक या लौह प्रबलित सामान्य नमक के प्रत्येक आधान या पैकेज पर, जिसमें प्रतिपिण्डक के रूप में ऐल्युमिनियम सिलिकेट है, निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात् -

नमक/लौह प्रबलित सामान्य नमक* इसमें अनुज्ञात प्रतिकेकक है

* जो लागू न हो उसे काट दें।

(21) लौह प्रबलित सामान्य नमक के प्रत्येक आधान या पैकेज पर निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् -

लौह प्रबलित सामान्य नमक

(22) शुष्कित ग्लूकोज सिरप के प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें 40 पी.पी.एम. से अधिक सल्फर-डाइ-आक्साइड हो, निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

शुष्कित ग्लूकोज सिरप केवल चीनी की कन्फेक्शनरी में उपयोग के लिए

(23) ऐसे पैकेज पर जिसमें मिलाए गए सुवासक (फ्लेवर) सहित चाय अंतर्विष्ट है, निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात् -

''सुवासित चाय'' (अनुज्ञात सुवासक का सामान्य नाम/ प्रतिशतता) रजिस्ट्रीकरण सं. ---------------------

(24) प्रत्येक ऐसे खाद्य के पैकेज पर, जिसमें इन विनियमों के विनियम 3.1.3(1) में दी गई सारणी में उल्लिखित अनुज्ञात कृत्रिम मधुकारक है, और ऐसे खाद्य के विज्ञापन पर निम्नलिखित लेबल लगाया जाएगा, अर्थात् -

(i) इस ----------------------------------(खाद्य का नाम) में (कृत्रिम मधुकारक का नाम) है (ii) बालकों के लिए सिफारिश नहीं की जाती है। (iii) *(क) ओमिलाई गई चीनी की मात्रा ------------------ ग्राम/100 ग्राम है। *(ख) इस उत्पाद पर चीनी नहीं मिलाई गई है। (iv) ओफेनिलकीटोन्यूरिक्स के लिए नहीं (यदि एस्परटेम मिलाई गई हो)

*जो लागू न हो उसे काट दें।

(25) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5 (24 और 26)के अधीन घोषणा के अतिरिक्त, प्रत्येक ऐसे खाद्य, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के विनियम 3.1.3(1) में दी गई सारणी में उल्लिखित कृत्रिम मधुकारक अंतर्विष्ट किया जाना अनुज्ञात है, के पैकेज पर और ऐसे खाद्य के विज्ञापन पर निम्नलिखित लेबल लगाया जाएगा, अर्थात्-

कृत्रिम मधुकारक अंतर्विष्ट है और कैलोरी कनसंस के लिए

(26) विनियम 2.4.5(25)के अधीन घोषणा उत्पाद के नाम और व्यापार नाम के साथ दी जाएगी और नाम/व्यापार नाम के आकार का आधा होगी। घोषणा दो वाक्यों में, किंतु उसी खाने में, दी जा सकेगी :

(27) टेबल टाप मधुकारक के रूप में विपणित एस्परटंम (मिथाइल एस्टर), एंसीसल्फेम के सुक्रोलोस और सैक्रीन सांडियम के प्रत्येक पैकेट पर और टेबल टाप मधुकारक के प्रत्येक विज्ञापन में निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् -

इसमें ---------------------------------- (कृत्रिम मधुकारक का नाम) है
बालकों के लिए सिफारिश नहीं की जाती है।

परंतु टेबल टाप मधुकारक के रूप में विपणित एस्परटेम (मिथाइल एस्टर) के पैकेज पर और एंसे टेबल टाप मधुकारक के विज्ञापन में निम्नलिखित लेबल रहेगा अर्थात् -

फेनिलकीटोन्यूरिक्स के लिए नहीं

(28) प्रत्येक ऐसे खाद्य के पैकेज पर, जिसमें खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के विनियम 3.1.3(1)में दी गई सारणी में वर्णित एस्परटेम (मिथाइल एस्टर) और एंसीसल्फेम पोटाशियम मधुकारकों के मिश्रण अंतर्विष्ट होना अनुज्ञात है, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात्-

इसमें --(खाद्य का नाम)------------------------
एस्परटेम (मिथाइल एस्टर) और ऐसीसल्फेम पोटाशियम का अधिमिश्रण है।
बालकों के लिए सिफारिश नहीं की जाती है।
(क) *मिलाई गई चीनी की मात्रा ------------------ ग्राम/100 ग्राम है।
(ख) इस उत्पाद में चीनी नहीं मिलाई गई है। ओ फेनिलकीटोन्यूरिक्स के लिए नहीं (यदि एस्परटेम मिलाई गई हो)

* जो लागू न हो उसे काट दें।

(29) प्रत्येक ऐसे खाद्य के पैकेज पर, जिसमें खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के विनियम 3.1.2(1)में दी गई सारणी में वर्णित ऐसीसलफेम पोटाशियम और सुक्रालोस मधुकारकों के मिश्रण अंतर्विष्ट होना अनुज्ञात है, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात्-

(i) इसमें --(खाद्य का नाम)------------------------
सुक्रालोस और एंसीसल्फेम पोटाशियम का अधिमिश्रण है।
(ii) बालकों के लिए सिफारिश नहीं की जाती है।
(iii) *(क) मिलाई गई चीनी की मात्रा ------------------ ग्राम/100 ग्राम है।
(ख) *इस उत्पाद में चीनी नहीं मिलाई गई है। ओ फेनिलकीटोन्यूरिक्स के लिए नहीं (यदि एस्परटेम मिलाई गई हो)

* जो लागू न हो उसे काट दें।

(30) पान मसाले के प्रत्येक पैकेज और उससे संबंधित विज्ञापन पर निम्नलिखित चेतावनी लिखी होगी अर्थात् -

पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है

(31) सुपारी के प्रत्येक पैकेज पर और उससे संबंधित विज्ञापन में निम्नलिखित चेतावनी सहजदृश्य रूप में और बड़े मुद्रण में होगी, अर्थात्-

सुपारी चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

(32) फल स्कवाश के प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें अतिरिक्त सोडियम या पोटाशियम लवण अंतर्विष्ट है और इसे चाहे जिस नाम से भी विक्रय किया जाए, निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

इसमें अतिरिक्त सोडियम/पोटाशियम लवण है

(33) नेटामाइसिन से उपचारित पृष्ठ वाले चीज (कठोर) के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात् –

नेटामाइसिन के उपचारित पृष्ठ

(34) 30 प्रतिशत से अधिक चावल चोकर तेल से बनाए गए बेकरी और औद्योगिक मारगरीन के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

बेकरी और औद्योगिक मारगरीन का यह पैकेज भार में 30 प्रतिशत से अधिक चावल चोकर के तेल से बनाया गया है।

(35) कार्बनिकृत और अकार्बनिकृत पेयों में प्रयोग के लिए सुवासक पायस और सुवासक पेस्ट के प्रत्येक पैकेज पर विलेय के लिए अनुदेश के अतिरिक्त निम्नलिखित घोषणा होगी, अर्थात्-

केवल कार्बनिकृत और अकार्बनिकृत पेयों में प्रयोग के लिए सुवासक पायस और सुवासक पेस्ट

(36) पेय जल के प्रत्येक पैकेज पर विनियम 2.3.3 में यथा विहित आकार के मोटे अक्षरों में निम्नलिखित घोषणा होगी, अर्थात्-

पैक किया गया पेय जल

पैकेज बंद पेय जल की एक बार प्रयोग योग्य प्लास्टिक की बोतलों पर निम्नलिखित घोषणा होगी :

प्रयोग करने के बाद बोतल को तोड़ दें

(37) खनिज जल के प्रत्येक पैकेज पर विनियम 2.3.3 में यथा विहित आकार के मोटे अक्षरों में निम्नलिखित घोषणा होगी, अर्थात्-

प्राकृतिक खनिज जल

पैकेज बंद खनिज जल की एक बार प्रयोग योग्य प्लास्टिक की बोतलों पर निम्नलिखित घोषणा होगी :

प्रयोग करने के बाद बोतल को तोड़ दें

(38) प्रत्येक ऐसे खाद्य पैकेज पर जिसमें कैफीन मिलाई गई है, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् –

कैफीन अंतर्विष्ट है।

परंतु यदि उत्पाद में कैफीन मिलाई गई है, तो यह आधान/बोतल पर घोषित किया जाएगा :

परंतु यह कि वापस किए जाने योग्य कांच की बोतलों की दशा में, जो पुनः भरे जाने के लिए पुनः चक्रित की जाती है, कैफीन की घोषणा क्राउन पर दी जा सकती है।

(39) कम वसा पनीर/छेना के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

कम वसा पनीर/छेना

(40) चीज (चीजों) के प्रत्येक पैकेज पर, यदि पॉलीफिल्म/कपड़े के आवरण में पैक किया जाता है / जाते हैं, निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

उपभोग से पूर्व बाह्य पैकिंग हटाएं

(41) वाष्पित डेजर्ट/वाष्पित कन्फेक्शन के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात् -

वाष्पित डेजर्ट/वाष्पित कन्फेक्शन में-------------------------- दुग्ध वसा/खाद्य वनस्पति तेल*/ और वनस्पति वसा है*

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

(42) सामान्य नमक के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात् -

आयोडीनीकरण के लिए सामान्य नमक*/लौह प्रबलितओ/ पशु उपयोग*/परिरक्षण/ औषधिओ/औद्योगिक प्रयोग के लिए*

*जो लागू न हो उसे काट दें।

(43) बिस्कुटों, डबल रोटी और केकों के प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें ओलिगोफ्रक्टोस है, निम्नलिखित घोषणा होगी, अर्थात्-

ओलिगोफ्रक्टोस (डाइटरी फाइबर)-------- ग्राम/100 ग्राम अंतर्विष्ट है।

(44) ताजे फल के प्रत्येक पैकेज पर, यदि मोम से आलेपित किए गए हैं य निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

मोम से आलेपित (मोम का नाम दें)

(45) मानव उपयोग के लिए जिलेटिन पर ''जिलेटिन खाद्य श्रेणी'' का लेबल लगा होगा।

(46) पोलीओल्स से अंतर्विष्ट खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

पोलीओल्स का दस्तावर प्रभाव हो सकता है

(47) पोलीडेक्सट्रोस में अंतर्विष्ट खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात्-

पोलीडेक्सट्रोस का दस्तावर प्रभाव हो सकता है

विनियम 2.4.6 : उत्पाद लेबलों पर विनिर्दिष्ट निर्बंधन

(1) लेबल पर अपेक्षित विशिष्टियों के प्रतिकूल अधिनियम या नियमों के प्रति निर्देश नहीं होंगे- लेबल पर अधिनियम या इन नियमों में से किसी के प्रति कोई निर्देश या किसी ऐसी विशिष्टि या घोषणा पर जो अधिनियम या इन नियमों में से किसी के द्वारा लेबल पर सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित है कोई टिप्पणी या उसके प्रति निर्देश या उसका स्पष्टीकरण नहीं होगा जो प्रत्यक्षत: या विवक्षा द्वारा ऐसी विशिष्टि या घोषणा के प्रतिकूल है या उसे विशेषित या उपांतरित करता है।

(2) लेबलों पर चिकित्सा वृत्ति की सिफारिशों को विवक्षित करने वाले शब्दों पर प्रयोग नहीं किया जाएगा - विक्रय के लिए खाद्य अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेट के लेबल पर ''चिकित्सा वृत्ति ने सिफारिश की है'' शब्द या ऐसे कोई शब्द नहीं होंगे जिनसे यह विवक्षित होता हो या सुझाव मिलता हो कि खाद्य की चिकित्सा व्यवसायियों ने सिफारिश की है, उसे विहित किया है या अनुमोदित किया है।

(3) अनुकृति दर्शित करने वाले शब्दों के अप्राधिकृत उपयोग का प्रतिषेध

(1) किसी खाद्य पदार्थ को अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेज के साथ संलग्न विवरण में या लेबल पर ''अनुकृति'' शब्द या ऐसा कोई शब्द या ऐसे कोई शब्द जिनमें यह विवक्षित हो कि पदार्थ किसी अन्य खाद्य का प्रतिस्थानी है तब तक नहीं लिखे जाएंगे जब तक कि उक्त शब्द या शब्दों का उपयोग इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात न किया गया हो।

(2) ऐसे किसी फल-सिरप, फल-रस, फल-स्क्वैश, फल-पेय या कार्डियल या क्रश या खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के अध्याय 5 के अधीन मानकीकृत किसी अन्य फल उत्पाद का, जिसमें फल रस या फल गूदा या फल अंश की विहित मात्रा नहीं है, यथास्थिति, फल-सिरप, फल रस, फल स्क्वैश, फल पेय या कार्डियल, क्रश अन्य उत्पाद के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा।

(3) कोई खाद्य उत्पाद जिसमें फल की विनिर्दिष्ट मात्रा अंतर्विष्ट नहीं है और ग्राहक को चाहे शब्दों के प्रयोग से या चित्रात्मक निरुपण से इस बात का धोखा होने, खमित होने या मिथ्या खम होने की संभावना है कि उत्पाद में फल अंतर्विष्ट है, लेबल पर स्पष्ट रूप से और सहजदृश्य ''(फल का नाम) से सुवासित किया गया है,'' चिह्नित किया जाएगा।

(4) कोई खाद्य उत्पाद, जिसमें केवल फल सुवास, चाहे प्राकृतिक सुवास और प्राकृतिक सुवासक पदार्थ या प्राकृतिक सुवासक पदार्थों के तदरूप, कृत्रिम सुवासक पदार्थ, एकल रूप में या इनके संयोजन में अंतर्विष्ट हैं, फल उत्पाद के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा और ऐसे उत्पाद को वर्णित करने में ''मिलाया गया'' (फल का नाम) सुवास शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

(5) कार्बोनेटीकृत जल पर, जिसमें कोई फल-रस या लुगदी अंतर्विष्ट नहीं है ऐसा कोई लेबल नहीं होगा जिससे उपभोक्ता को यह विश्वास हो जाए कि वह फल-उत्पाद है।

(6) किसी फल या वनस्पति, उत्पाद में, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि उसका विटामिन सी से प्रबलीकरण किया गया है, उत्पाद के प्रति सौ ग्राम 40 मि.ग्रा. से अन्यून एस्कोर्बिक एसिड होगा।

(4) अनुकृति पर ''शुद्ध'' नहीं लिखा जाना :

किसी ऐसे पैकेज के लेबल पर जिसमें किसी खाद्य की अनुकृति है, ''शुद्ध'' शब्द या उसी महत्व का कोई शब्द सम्मिलित नहीं किया जाएगा या नहीं किए जाएंगे।

(5) पेय जल (पैकेजबंद और खनिज जल दोनों) के लिए लेबल लगाने संबंधी प्रतिषेध

(i) मानक के अंतर्गत आने वाले उत्पाद की विशेषताओं की बाबत कोई औषधीय (निवारक, उपशमक या आरोग्यकारी) संबंधी दावा नहीं किया जाएगा, उपभोक्ता के स्वास्थ्य से संबंधित अन्य फायदाप्रद प्रभाव दावे नहीं किए जाएंगे।

(ii) अवस्थान, पल्ली या विनिर्दिष्ट स्थान का नाम तब तक व्यापार नाम का भाग नहीं हो सकेगा जब तक कि यह उस व्यापार नाम द्वारा अभिहित स्थान से एकत्रित किए गए पैकेजबंद जल को निर्दिष्ट नहीं करता है।

(iii) कोई ऐसा कथन करके या कोई ऐसी चित्रात्मक युक्ति का प्रयोग करके, जिससे जनता के मन में भ्रम पैदा हो सकता है या ऐसे जलों की प्रकृति, उद्‌गम, संयोजन और विशेषताओं के बारे में किसी भी प्रकार से जनता भ्रमित हो सकती है, विक्रय करना प्रतिषिद्ध है।

2.5 : विज्ञापन पर निर्बंधन :

किसी भी खाद्य की बाबत कोई ऐसा विज्ञापन नहीं होगा जो भ्रामक हो या जिससे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) या उसके अधीन बनाए गए नियमों/ विनियमों का उल्लंघन होता हो।

2.6 : लेबल लगाने की अपेक्षाओं से छूट :

2.6.1

(1) जहां पैकेज का सतही क्षेत्र 100 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक नहीं है, वहां ऐसे पैकेज के टेबल को संघटकों की सूची, लॉट संख्यांक या बैच संख्यांक या कोड संख्यांक, पोषणकारी जानकारी देने और प्रयोग के लिए अनुदेश की अपेक्षाओं के छूट प्राप्त होगी, किंतु ये जानकारी यथास्थिति, थोक पैकेजों या मल्टीपीस पैकेजों पर दी जाएगी।

(2) 30 वर्ग सेंटीमीटर के कम सतही क्षेत्र के पैकेज पर 'विनिर्माण की तारीख' या 'तारीख से पूर्व उत्तम' या 'पर्यवसान की तारीख' का उल्लेख करना अपेक्षित नहीं हो सकेगा किंतु ये जानकारी, यथास्थिति, थोक पैकेजों या मल्टीपीस पैकेजों पर दी जाएगी।

(3) बोतलों में विपणित किए जाने वाले तरल पदार्थों की दशा में, यदि ऐसी बोतल को पुनः भरकर पुनप्रयोग किया जाना आशयित है, तो संघटकों की सूची देने की अपेक्षा से छूट होगी, किंतु इन विनियमों के विनियम 2.2.2(4) में विनिर्दिष्ट पोषणकारी जानकारी लेबल पर दी जाएगी।

परंतु ऐसी कांच की बोतलों की दशा में, जो 19 मार्च, 2009 के बाद विनिर्मित की गई हैं, संघटकों की सूची और पोषणकारी जानकारी बोतल पर दी जाएगी।

(4) ऐसे खाद्य की दशा में, जिसका शेल्फ लाइफ सात दिन से अधिक नहीं है, पैकेजबंद खाद्य पदार्थ के लेबल पर 'विनिर्माण की तारीख' का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं हो सकेगा, किंतु 'तारीख तक प्रयोग करें' का उल्लेख विनिर्माता या पैकर द्वारा लेबल पर किया जाएगा।

(5) थोक पैकेजों की दशा में, संघटकों की सूची विनिर्माण ओर पैक करने की तारीख, से पूर्व उत्तम, किरणित खाद्य पर लेबल और लोगो लगाने से संबंधित विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकेंगी।

2.7 : खाद्य में योग, सम्मिश्रण या अभाव की सूचना :

2.7.1

(1) किसी ऐसे खाद्य पदार्थ में, जिसमें योग, सम्मिश्रण या अभाव है, प्रत्येक विज्ञापन में और उसकी मूल्य या व्यापार सूची में ऐसे खाद्य का उल्लेख उस रूप में किया जाएगा कि उसमें ऐसा योग, सम्मिश्रण या अभाव है और उसमें ऐसे योग, सम्मिश्रण या अभाव की प्रकृति और मात्रा का भी विनिर्देश किया जाएगा। खाद्य के आधान से संबद्ध विज्ञापन या मूल्य या व्यापार सूची या लेबल पर ऐसे कोई शब्द नहीं होंगे जिससे यह विवक्षित हो सके कि खाद्य शुद्ध है :

परंतु इस नियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सम्मिश्रण या योग नहीं समझा जाएगा, अर्थात्–

(क) मक्खन या मारजरीन में नमक,

(ख) खाद्य में विटामिन।

(2) प्रत्येक ऐसे खाद्य के पैकेज पर जो किसी योग, सम्मिश्रण या अभाव के कारण शुद्ध नहीं है, आसंजक लेबल का एक लेबल लगाया जाएगा, जिस पर निम्नलिखित घोषणा होगी :

घोषणा
इस (क)---------------------- में अधिक से अधिक।
(ख)-- प्रतिशत
(ग) --- का सम्मिश्रण / योग है।

(क) यहां खाद्य का नाम लिखें।

(ख) यहां उस सम्मिश्रण की मात्रा लिखें जो विद्यमान हो।

(ग) यहां उस सममिश्रण का नाम या उस संघटक कानाम जिसका अभाव है लिखें।

जहां संदर्भ से ऐसा अपेक्षित हो, वहां ''का सममिश्रण सम्मिलित है'' शब्दों के स्थान पर ''---------- का योग है'' या ''------------- कमी का अभाव है'' शब्द रखे जाएंगे।

(3) जब तक कि किसी ऐसे खाद्य के जिसमें योग, सम्मिश्रण या अभाव है, विक्रेता के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि क्रेता घोषणात्मक लेबल को पढ़े और समझ सकता है, वह पूछने पर क्रेता को, विक्रय के समय घोषणात्मक लेबल में अंतर्विष्ट जानकारी मौखिक शब्दों द्वारा देगा।

(4) इस विनियम 2.7.1 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन शुद्ध हालत में बेचे जाने के लिए अपेक्षित किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय उसकी शुद्ध हालत में करने से अन्यथा करे।

(5) इस विनियम 2.7.1 में अंतर्विष्ट कोई भी बात, मिठाइयों, कन्फेक्शनरी, बिस्कुट, बेकरी उत्पादों, प्रसंस्कृत फलों, वातित जल, शाकों और सुरुचि कारकों की दशा में लागू नहीं होगी।